



04 - न्यायापालिका स्वतंत्र है इसलिए संविधान सुरक्षित



05 - संविधान में लिखे शब्द नहीं, उसके भाव और नैतिकता महत्वपूर्ण

A Daily News Magazine

इंदौर

बुधवार, 26 नवम्बर, 2025



इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 61, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रु. 2



06 - सीएम केयर योजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए औपचारिकताएँ...



07 - देवारण्य योजना के अंतर्गत औषधीय पौधों के संवर्धन एवं ग्रामीण...

कह

subhasaverenews@gmail.com
facebook.com/subhasaverenews
www.subhasavere.news
twitter.com/subhasaverenews

शरद की सुबह

कांच के टुकड़ों को
मुट्ठी में दबाता कौन है
जिन्दगी तू ही बता
तुझको निभाता कौन है
हम भी गैरत मन्द थे
मजबूरियां कुछ भी करें
इतनी आसानी से सर
वरना झुकाता कौन है
कहकहे बिकने लगे हैं
आज कल बाज़ार में
रोज़ अपने आंसुओं में
अब नहाता कौन है
आप ही मुजरिम नहीं
मैं भी गुनहगारों में हूँ
सर बचा लेते हैं सब
पगड़ी बचाता कौन है
आप की ज़रूर नवाजी
आप ने पूछा हमें
जेब खाली हो तो फिर
खातिर में लाता कौन है।

— हसीब सौज़

प्रसंगवश

अवतार सिंह

पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ को संविधान की धारा 240 के दायरे में शामिल करने संबंधित बिल संसद में लाने की चर्चाओं के साथ चंडीगढ़ पर दावे को लेकर दोनों राज्यों में सियासत गरमा गई है। इससे पहले यह बात सामने आई थी कि केंद्र सरकार एक से 19 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में, चंडीगढ़ को संविधान की धारा 239 की जगह धारा 240 में शामिल करने को लेकर एक विधेयक पेश कर सकती है। लेकिन इस मामले पर विवाद होने के बाद गृह मंत्रालय ने विचार को कहा कि शीतकालीन सत्र में इस संबंध में विधेयक पेश करने का कोई इरादा नहीं है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने इस मामले पर केंद्र सरकार की निंदा की है।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से ये कहा गया, 'संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार के स्तर पर विचारार्थीन है। इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से चंडीगढ़ की शासन-प्रशासन की व्यवस्था या चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के परंपरागत संबंधों को परिवर्तित करने की कोई बात नहीं है।'

'चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों से पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद ही उचित निर्णय लिया जाएगा। इस विषय पर चिंता की आवश्यकता नहीं है। आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस आशय का कोई बिल प्रस्तुत करने की केंद्र

सरकार की कोई मंशा नहीं है।' लोकसभा और राज्यसभा के 21 नवंबर के बुलेटिन के अनुसार, सरकार 1 दिसंबर, 2025 से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में 131वां संविधान संशोधन विधेयक, 2025 पेश करेगी।

मौजूदा समय में पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ (केंद्र शासित प्रदेश) के प्रशासक हैं। मगर इस विधेयक के पास होने के बाद चंडीगढ़ में प्रशासक के रूप में एलजी (लेफ्टिनेंट गवर्नर) की नियुक्ति की जा सकती है। पंजाब चंडीगढ़ पर अपना दावा क्यों करता है और भारत के इस 'खुबसूरत शहर' को बसाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? यह समझने के लिए इसका इतिहास जानें।

नई दिल्ली से लगभग 240 किलोमीटर दूर शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित चंडीगढ़ की परिकल्पना 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौरान पंजाब की राजधानी लाहौर के पाकिस्तान में चले जाने के बाद की गई थी। चंडीगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यह शहर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है, जिसकी योजना प्रसिद्ध फ्रांसीसी आर्किटेक्ट ली कोर्बुज़िए ने बनाई थी। वेबसाइट के अनुसार, 'इसे बीसवीं सदी में भारत में शहरी नियोजन और आधुनिक वास्तुकला के बेहतरीन प्रयोगों में से एक माना जाता है।' लगभग 8 हजार साल पहले यह क्षेत्र हड़प्पावासियों के निवास स्थान के रूप में भी जाना जाता था।

जवाहरलाल नेहरू के सपने के अनुसार इस शहर की आधारशिला साल 1952 में रखी गई थी। 1 नवंबर, 1966 को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के पुनर्गठन के दौरान चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी बनाया गया। इसे एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया और केंद्र सरकार के

सीधे नियंत्रण में रखा गया। इनमें से 'चंडीगढ़-योजनाबद्ध विकास का एक प्रतीक' नाम के भाषण में वह शहर और इसकी दूरदर्शी योजना के बारे में बात करते हैं।

इस प्रकाशित भाषण में नेहरू कहते हैं, 'मुझे बहुत खुशी है कि पंजाब के लोगों ने किसी पुराने शहर को अपनी नई राजधानी बनाने की गलती नहीं की। वह एक बहुत बड़ी गलती और मूर्खता होती। यह सिर्फ इमारतों का सवाल नहीं है। अगर आपने किसी पुराने शहर को राजधानी चुना होता, तो पंजाब मानसिक रूप से जड़ और पिछड़ा राज्य बन जाता।' उन्होंने कहा, 'इसलिए, चंडीगढ़ नामक एक नए शहर के निर्माण का निर्णय, नए जीवन और नई सोच का प्रतीक है और भविष्य के लिए एक शुभ संकेत है।'

चंडीगढ़ शहर अपनी वास्तुकला और योजना के लिए जाना जाता है। शहर की वेबसाइट के अनुसार, नए शहर का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए 1950 में पहली बार एक अमेरिकी फर्म को काम पर रखा गया था। अल्बर्ट मेयर और मैथ्यू नोविकी ने पंखे के आकार का मास्टर प्लान तैयार किया था।

नोविकी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद, मायर ने काम जारी न रखने का फैसला किया। इसके बाद, 1951 में, ले कोर्बुज़िए के नेतृत्व में एक टीम को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई। ले कोर्बुज़िए को मैक्सवेल फ्राई, जेन बी. डू और पियरे जेनेरेट ने सहयोग दिया।

इस टीम को अन्य लोगों के अलावा युवा भारतीय योजनाकारों एमएन शर्मा और एआर प्रभावकर का भी साथ मिला। ले कोर्बुज़िए ने राजधानी परिसर का मास्टर प्लान और डिजाइन तैयार किया तथा शहर की मुख्य इमारतों का डिजाइन बनाया।

चंडीगढ़ का निर्माण पंजाब के लगभग 27 गांवों को उजाड़कर किया गया था, यही कारण है कि पंजाब के लोग और राजनीतिक दल इस पर अपना अधिकार मानते हैं।

वरिष्ठ पत्रकार जसपाल सिद्धू कहते हैं कि पंजाब की राजधानी लाहौर के पाकिस्तान में चले जाने के बाद यह लंबे समय तक शिमला में ही रही और पंजाब विश्वविद्यालय भी होशियारपुर में चला गया। उनके अनुसार, 'चंडीगढ़ का निर्माण पंजाब की राजधानी, पंजाब विश्वविद्यालय और कई अन्य चीजों को एक साथ लाने के लिए किया गया था। इसके लिए पंजाब के 27 गांवों को खाली करवाया गया, जिसके कारण पंजाब चंडीगढ़ पर अपना दावा करता है।' विभाजन के बाद नवंबर 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम (1966) के माध्यम से वर्तमान पंजाब और हरियाणा अस्तित्व में आए। दोनों राज्यों की इस राजधानी में कर्मचारियों के लिए 60:40 का अनुपात बनाए रखा गया। शिरोमणि अकाली दल ने 1982 में धर्मयुद्ध मोर्चा का ऐलान कर दिया था, जिसमें चंडीगढ़ को पंजाब को देने की मांग भी शामिल थी।

1985 में पंजाब में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और शिरोमणि अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच एक समझौता हुआ था। इसे 'राजीव-लोंगोवाल समझौता' कहा गया। इस समझौते में पानी के मुद्दे, हिंसा के निर्दोष पीड़ितों को मुआवजा देने समेत एक और अहम मुद्दे पर सहमति बनी थी। वह ये कि चंडीगढ़ पंजाब को सौंप दिया जाएगा और बदले में हरियाणा को पंजाब के हिंदी भाषी इलाके दिए जाएंगे।

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

हर कालखंडमें रामके विचार ही हमारी प्रेरणा बने हैं

● पीएम बोले-अब मानसिक गुलामी से मुक्ति का है लक्ष्य ● राम मंदिर पर फहराई धर्मध्वजा, मोदी हुए भातुक ● कहा- इसने राम की मौ काल्पनिक बता दिया है



अयोध्या (एजेंसी)। अयोध्या का राम मंदिर आज संपूर्ण हो गया। प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। सुबह 11.50 बजे अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहरने लगी। पीएम मोदी भावविभोर हो गए। उन्होंने धर्मध्वजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पीएम ने कहा- आज सदियों के घाव भर गए हैं। हम देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। यह मानसिकता इतनी हवी हो गई थी कि वर्षों तक भगवान राम को काल्पनिक बताया गया। हर कालखंड राम के विचार हमारी प्रेरणा बने हैं।



सदियों की वेदना आज विराम पा रही है

सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों से आस्था डिगि नहीं, एक पल भी विश्वास टूटा नहीं। धर्म ध्वजा केवल ध्वजा नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है। आने वाले सदियों तक यह ध्वज प्रभु राम के आदर्श का उद्घोष करेगा। यह ध्वज प्रेरणा देगा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। अयोध्या वह भूमि है, जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। यह वही भूमि है, जहां राम ने जीवन शुरू किया। इसी धरती ने बताया कि एक व्यक्ति अपने समाज की शक्ति से कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है।

भागवत बोले-

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा- राम मंदिर आंदोलन में लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। उन्होंने अपने प्राण अर्पण किए और अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे, वे भी मन में इच्छा करते रहे कि मंदिर बनेगा और आज मंदिर निर्माण की



शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई। ध्वजारोहण हो गया। हमने इसे अपनी आंखों से देखा है। रथ चलाने के लिए सात-सात घोड़े हैं, उन्हें नियंत्रित करने के लिए लगाम है। रस्सा नहीं है, सारथी नहीं है तो ऐसी गाड़ी नहीं चल सकती। शांति बांटने वाला भारतवर्ष है।

सीएम योगी बोले-

सीएम योगी ने कहा कि ध्वजारोहण यज्ञ की पूर्णहृति नहीं, बल्कि नए युग का शुभारंभ है। भाजपा सरकार बनने पर 2014 में जिस संभावना, संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ, आज वही तपस्या और अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा साकार हुई। श्रीराम मंदिर पर फहराता केसरिया ध्वज धर्म, मर्यादा, सत्य-न्याय और राष्ट्रधर्म का भी प्रतीक है। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। सभी ने 11 वर्षों में बदलते भारत को देखा है। 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदलीं, लेकिन आस्था अडिग रही। आस्था न झुकी, न रुकी। जन-जन का विश्वास अटल है।



कुछ भी करें, हमें जाति के आधार पर समाज को बांटना नहीं चाहिए

नई दिल्ली (एजेंसी)। हम चाहे कुछ भी करें, हमें समाज को जाति के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मंगलवार को महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव मामले की सुनवाई के दौरान यह बड़ी लकीर खींच दी है। यह टिप्पणी तब आई जब विभिन्न पक्षों ने स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण की 50 फीसदी सीमा लागू रहने पर अन्य पिछड़ा वर्ग को जमीनी स्तर के लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व से वंचित किए जाने की आशंका पर चिंता जताई है। जस्टिस सूर्यकांत ने 24 नवंबर को ही यानी एक दिन पहले ही सीजेआई पद की शपथ ली है। वरिष्ठ अधिवक्ता ईंदिरा जयसिंह ने आरक्षण का समर्थन करते हुए कहा कि चूंकि महाराष्ट्र के कई इलाकों में आदिवासी आबादी अच्छी-खासी है, इसलिए उन इलाकों में अकेले एससी-एसटी आरक्षण ही 50 फीसदी होगा। ऐसे में ओबीसी आरक्षण के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। उन्होंने यह भी बताया कि 1931 के बाद से कोई जाति जनगणना नहीं हुई है।

मोहन कैबिनेट की बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णय

शहीद के भाई को सब इंस्पेक्टर बनाएंगे, नपा अध्यक्ष का सीधे जनता से चुनाव कराने का विधेयक मंजूर

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस-नक्सल मुठभेड़ में 19 नवम्बर 2025 को वीरगति को प्राप्त हुए निरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल) श्री आशीष शर्मा, हॉक फोर्स बालाघाट के परिजन को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की स्वीकृति प्रदान की गयी है। साथ ही उनके छोटे भाई श्री अंकित शर्मा को जिला पुलिस बल में उप निरीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। दिवंगत निरीक्षक श्री ब्आशीष शर्मा अत्यंत होनहार, प्रतिभाशाली और साहसी थे। उन्हें 2 बार राष्ट्रपति द्वारा वीरता पदक से सम्मानित किया गया था। इसके पहले वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री के द्वारा आंतरिक सेवा पदक और



2023 में दुर्गम सेवा पदक प्रदान किया गया था। साथ ही राज्य शासन द्वारा वर्ष 2023 में आउट

ऑफ प्रमोशन दिया गया। मंत्रि-परिषद की बैठक वंदे मातरम् गान के साथ शुरू हुई।

नगरीय निकायों के अध्यक्ष पद के निर्वाचन संबंधी विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति- मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराए जाने संबंधी विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति दी गयी है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में वर्ष 1999 से 2014 तक नगर पालिका और नगर परिषद से सीधे मतदाताओं द्वारा कराए जाते रहे हैं। वर्ष 2022 में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से वार्डों के निर्वाचित पार्षदों के द्वारा कराए गए। महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराया जा रहा है।



म.प्र. के राज्यपाल और मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति करेंगे विश्वरंग का शुभारंभ

27 नवंबर को आगाज- चार दिन, 90 सत्र, 35 देश, 1000 प्रतिभागी

विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष चौबे ने प्रेस बार्ता में दी। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री चौबे ने बताया कि 2019 में शुरू हुई विश्व रंग की यात्रा अपने सातवें चरण पर और भी व्यापक, विस्तृत और बहुपक्षी हो गयी है। भोपाल से शुरू हुआ यह कार्यक्रम मॉरिशस, श्रीलंका, नई दिल्ली और मुंबई होता हुआ नई उर्जा और नए आत्मविश्वास से भरकर पुनः भोपाल लौटा है। 27 नवंबर को रंगारंग विश्व रंग शोभा यात्रा के बाद शाम 6 बजे म.प्र. के राज्यपाल माननीय मंगुभाई पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में इस महोत्सव का शुभारंभ होगा। इस अवसर पर मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन, म.प्र. के संस्कृति मंत्री श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी और रबीन्द्रनाथ टैगोर वि.वि. के कुलाधिपति श्री संतोष चौबे विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

पत्रकार वार्ता को विश्व रंग के सहनिदेशक तथा स्कोप रिस्कल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉ. सिद्धार्थ चतुर्वेदी, आईसेक्ट ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी

की निदेशक डॉ. अर्पिता चतुर्वेदी वत्स, उपसंचालक, मध्यप्रदेश संस्कृति संचालनालय डॉ. पूजा शुक्ला, प्रवासी साहित्य एवं संस्कृति शोध केन्द्र के निदेशक डॉ. जवाहर कर्नोवट तथा टैगोर विश्व कला एवं संस्कृति केन्द्र के निदेशक विनय उपाध्याय ने भी संबोधित किया।

चौबे ने बताया कि देश-दुनिया के एक हजार से भी अधिक भाषाविद्, साहित्यकार, शिक्षा शास्त्री, विज्ञान-तकनीकी विशेषज्ञ, आलोचक, संस्कृतिकर्मी, पर्यावरणविद् सहित मीडिया, कला, सिनेमा और मनोरंजन जगत की जानी-मानी हस्तियाँ विश्व रंग का हिस्सा बनेंगी। विरासत और आधुनिकता के इस अद्वितीय संगम में ज्ञान-विज्ञान की नई दिशाओं की ओर बढ़ते विश्व की नई इबारतों को पढ़ना दिलचस्प होगा। विश्व रंग इस अर्थ में संवाद का एक विशाल मंच तैयार कर रहा है।

विश्व रंग के सहनिदेशक डॉ. सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने बताया कि इस महोत्सव की

लोकप्रियता का ग्राफ उत्तरोत्तर बढ़ता गया है। सातवें संस्करण से जुड़ने के लिए विश्व रंग पोर्टल पर हजारों लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। नए विषय और नए विशेषज्ञों की भागीदारी इसे अपने समय में प्रासंगिक बना रही है। उन्होंने फेजल मलिक, दिव्या दत्ता, खानद किरकिरे, राधाकृष्ण पिब्ले, प्रिया मलिक, नीलायल मुणाल, सौरभ द्विवेदी, देवदत्त पटनायक, सुमित अवस्थी, पुष्पे पंत आदि का जिक्र करते हुए कहा कि इन शिखरियों ने विश्व रंग के आमंत्रण को आत्मीयता से स्वीकार किया है। ये आज के युवाओं के मोटोवैटर और मेंटर हैं। विश्व रंग के बहुपक्षी विन्यास की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ साझा करते हुए सहनिदेशक डॉ. अर्पिता चतुर्वेदी वत्स ने बताया कि शुभारंभ संध्या 27 नवंबर का प्रमुख आकर्षण श्रीकृष्ण लीला का भव्य मंचन है। इसे नई दिल्ली के श्रीराम कला केन्द्र के कलाकारों की बड़ी टीम लाईट एंड साउंड के स्पेशल इफेक्ट्स के साथ प्रस्तुत करेगी। समापन दिवस 30 नवंबर को राजमाता अहिल्याबाई की जीवन गाथा पर केन्द्रित महानाट्य 'अहिल्या रूपेण संस्थिता' का मंचन रवीन्द्र भवन के अंजनी सभागार में होगा।

— शेष पेज 2 पर देखे

भारत में रह रहे यहूदी जनजाति की होगी ‘घर वापसी’

● सदियों से रहने वाले यहूदियों को वापस ले जाएगा इजरायल

तेल अवीव/नई दिल्ली (एजेंसी)। इजरायल की बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने उस फैसले को मंजूरी दे दी है, जिसमें भारत में रहने वाले यहूदी जनजातियों को वापस ले जाना है। रविवार को इस फैसले को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत इजरायल ने 2030 तक बेनी मेनाश समुदाय के करीब 5,800 सदस्यों को शामिल करने के प्लान को मंजूरी दे दी है। भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों मिजोरम और मणिपुर में रहने वाले ये यहूदी



नेतन्याहू सरकार ने दी मंजूरी, जनसंख्या बढ़ाना है बड़ा लक्ष्य

समुदाय के लोग सदियों से भारत में रह रहे हैं। नेतन्याहू की सरकार ने इन्हें धीरे-धीरे उत्तरी इजरायल के गैलिली इलाके में बसाने को मंजूरी दी है। हालांकि ये क्षेत्र काफी संवेदनशील है और यह इलाका, लेबनान के हिज्बुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप के साथ लड़ाई से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। पिछले दो सालों से चल रही लड़ाई में इस इलाके में रहने वाले हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फैसले को जरूरी और जायोजी बनाया और कहा कि इससे इजरायल का उत्तरी इलाका मजबूत होगा। पहला समूह 1,200 लोगों का होगा।

आईएस संतोष वर्मा पर कार्रवाई न हुई तो आंदोलन का अगला चरण, ज्ञापन सौंपा

भोपाल। अजाक्स संगठन के प्रांतीय अधिवेशन में नवनिर्वाचित प्रांताध्यक्ष और विवादित आईएसएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा सवर्ण समाज की बेटियों के बारे में अत्यंत आपत्तिजनक निर्दनीय असंसदीय बयान के विरोध में आंदोलन के प्रथम चरण में उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल और सचिव (कार्मिक) एम सेल्वेनद्रन को सुधीर नायक अध्यक्ष मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। मंत्रालय संघ के पूर्व वरिष्ठ कर्मचारी नेता अनिल तिवारी विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस मौके पर मंत्रालय संगठन के पदाधिकारी आशीष सोनी, दयानंद उपाध्याय, सतीश शर्मा, श्याम बिहारी दुबे सपाक्स के सचिव अमरेश गालर उपस्थित थे। बड़ी संख्या में मंत्रालय के सामान्य वर्ग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। महिला कर्मचारियों की उपस्थिति बड़ी संख्या में थी। उपमुख्यमंत्री ने अपने चैंबर से बाहर आकर ज्ञापन लिया और न्यायोचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। तत्पश्चात सचिव कार्मिक श्री एम सेल्वेनद्रन जी को भी ज्ञापन देकर श्री संतोष वर्मा जी के विरुद्ध आईएसएस आचरण नियमों के तहत कार्यवाही की मांग की गयी। इस अवसर पर लिपिक संघ की ओर से श्री एम एल शर्मा, श्री संतोष दीक्षित, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ की ओर से विजय रघुवंशी उमाशंकर तिवारी कर्मचारी मंच की ओर से अशोक पाण्डे जी भी उपस्थित रहे और अपने संगठनों की ओर से भी समर्थन जताया। युवा ब्राह्मण संगठन के अध्यक्ष रामनारायण अवस्थी की ओर से भी उपमुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। नायक ने चेतावनी दी कि यदि दो तीन दिन के भीतर संतोष वर्मा के विरुद्ध शासन द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है तो आंदोलन के अगले चरण घोषित किए जायेंगे।



गुणवत्ता का नहीं मिला सड़क निर्माण, हटाने के दिए निर्देश

मुख्य अभियंता ने किया औचक निरीक्षण

भोपाल। सड़क निर्माण में गुणवत्ता का अभाव मिलने पर मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता ने निम्न स्तर के कार्य को हटाने एवं सील कोट को दोबारा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य अभियंता विजय कुमार गुप्ता विगत दिवस गुना जिले के बामोरी में 2 करोड़ 98 लाख की लागत से बन रही सड़क का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। एबी रोड - आगरा रोड पर पिपरोंदा हसली तक की इस सड़क के निरीक्षण में मुख्य अभियंता ने पाया कि सड़क के कुछ हिस्से में बीटी कार्य को गुणवत्ता मानकों के अनुसार नहीं है और सड़क के कुछ हिस्सों में सील कोट भी क्षतिग्रस्त हो गया है। उन्होंने तत्काल महाप्रबंधक को बीटी के घटिया कार्य को हटाने और जहाँ आवश्यक हो, सील कोट को दोबारा करने के निर्देश दिए। मुख्य अभियंता का निर्देश मिलते ही विभागीय अधिकारियों ने निम्न स्तर के निर्माण कार्य को निर्माण एजेंसी से हटवाया। उक्त सड़क की लंबाई 4.8 किमी है। मुख्य अभियंता के औचक निरीक्षण के दौरान सोहन ग्रेवाल महाप्रबंधक एवं ओ पी दसौरा मुख्य महाप्रबंधक सहित एक्सक्यूसी के टीम लीडर, प्रभारी सहायक प्रबंधक उपस्थित थे।

मानव समाज की रचना का एकात्म दर्शन भारतीय जीवन शैली के सोच के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में पं दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन पर उद्बोधन

नई दिल्ली। भारतीय संस्कृति के सच्चे अग्रदूत पंडित दीनदयाल उपाध्याय का समग्र चिंतन भौतिकता की मायावी चमक के विपरीत वैश्विक कल्याण की विशुद्ध भारतीय परिकल्पना के सनातन प्रवाह का अमृत कलश है जिसकी आराधना का केंद्र समाज के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ वह अंत्यज है जिसका समग्र उत्थान अपेक्षित है। यह कल्पना नहीं, वरन यूरोपीय पुनर्जागरण के अधूरे अपुष्ट मानववाद से भिन्न वर्ग संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की खाँड़ित दृष्टि को चुनौती देता हुआ भारतीय जीवन शैली के अनुरूप प्रगतिशील मानव समाज की रचना का एकात्म दर्शन है।

ये उद्गार डॉ. अशोक कुमार भागवत पूर्व कमिश्नर रीवा एवं शहडोल संभाग ने विश्व हिंदी परिषद एवं भारतीय दार्शनिक के अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में विज्ञान भवन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में ‘पं दीनदयाल उपाध्याय : प्रकृति, संस्कृति और दर्शन’ विषय पर विशिष्ट वक्ता के रूप में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि पंडित जी ने सिद्धांत की बलि चढ़ाकर मिलने वाली विजय को पराजय से भी ज्यादा बुरा मान और वे ऐसी विजय के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने राजनीति में सदैव वैचारिक निष्ठा और आचरण की शुचिता को महत्ता दी। भारत ही वह महान सभ्यता है जहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती हुई एक वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। इसलिए कि जब युगों का इतिहास लिखा जाए, तो उसमें यह अंकित हो कि जब शासन प्रशासन अथवा राजसत्ता का प्रमुख पैदल चलकर वन में रहने वाले समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है तभी रामराज की परिकल्पना साकार होती है। क्योंकि, कोई



भी व्यवस्था मनुष्य के कुशल क्षेम के बिना सफल नहीं हो सकती।

पंडित जी राष्ट्र निर्माण के मंदिर में महर्षि दधीचि की भाँति अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले वीतरागी साधक थे जो सत्ता के साकेत से दूर रहकर राष्ट्रीय चिंतन में विचारों की एकता, तथ्यों की एकता और मूल्यों की एकता पर बल देते थे। उनके लिए राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है केवल भारत नहीं। यदि माता शब्द हटा दींजिए तो भारत भूमि का एक टुकड़ा मात्र रह जाएगा। डॉ. भागवत ने कहा कि आज समग्र संसार युद्ध की विभीषिका, भय, असुरक्षा आतंक और प्राकृतिक प्रकोपों के घोर नैराश्य के अंधकार में डूबा हुआ है।ऐसी विषम स्थिति में पंडित जी का मानव केंद्रित मानव उत्कर्ष को समर्पित एकात्म दर्शन कल भी प्रासंगिक था आज भी प्रासंगिक है।

इस अवसर पर डॉ. अशोक कुमार भागवत को पं दीनदयाल

उपाध्याय पर उनके उत्कृष्ट आलेख के लिए संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य इथियोपिया दूतावास के गेब्रे टेकेले विश्व हिंदी परिषद के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. विपिन कुमार और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के संयोजक एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो रामनारायण पटेल ने सम्मानित किया। इस सम्मेलन में मुख्य अथागत लद्दाख के उपराज्यपाल कबींद्र गुप्ता, केसी त्यागी, पूर्व राज्यसभा सदस्य एवं वरिष्ठ नेता रेखा शर्मा, राज्य सभा सांसद एवं पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, सूरीनाम और इथियोपिया दूतावास प्रतिभागी सहित देश के अन्य विद्वतजन तथा शोधार्थी छात्र एवं श्रीमती आशा भागवत आदि सम्मिलित थे।

उह जोन क्रेक टीम कई राज्यों के नेताओं की ड्यूटी

बीजेपी का बंगाल प्लान तैयार,2026 फतह की तैयारी

कोलकाता (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के नतीजे आने के साथ ही अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया। 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में मैजिक नंबर 148 है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 38 फीसदी वोट के साथ 77 सीटें जीती थीं। पांच साल पहले बीजेपी ने सीटों की संख्या और वोट प्रतिशत में



लंबी छलांग लगाई थी मगर टीएमसी से काफी पीछे रह गई थी। तुणमूल कांग्रेस 48 फीसदी

वोट प्रतिशत के साथ 215 सीटें हासिल कर जीत की हैट्टिक लगा दी थी।

पहाड़ साधेंगे प्रदीप,राढ़बंग में छत्तीसगढ़ी नेता को जिम्मा

रिपोर्ट्स के अनुसार, बीजेपी ने रणनीतिक तौर पर पश्चिम बंगाल को 6 चुनावी जोन में बांटा है। दार्जिलिंग और पहाड़ी क्षेत्र की जिम्मेदारी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी को सौंपी गई है। उनके साथ पूर्व आईपीएस पंकज कुमार सिंह को रखा गया है। पंकज कुमार सिंह गोरखा नेताओं के साथ अदम्य गोरखालैंड के लिए बातचीत में मध्यस्थ भी रहे हैं। यह टीम दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और कुचबिहार में काम करेगी। राढ़बंग बेल्ट यानी पुरुलिया, बांकुरा, बीरभूम, पुरबा और पश्चिम बर्धमान, आसनसोल में छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश महामंत्री पवन कुमार साई और उत्तराखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की ड्यूटी लगाई गई है। यह टीम आसनसोल-बर्नपुर-दुर्गापुर जैसे इंडस्ट्रियल बेल्ट में हिंदी भाषी वोटरों पर फोकस करेगी।

350वां शहीदी दिवस पर पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर को नमन कर नवाया शीश

हरियाणा(एजेंसी)। हरियाणा कुरुक्षेत्र में ‘हिंद की चादर’ श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ मना रही है। इस मौके पर एक बड़ा समागम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 350वें शहीदी दिवस के मौके पर हरियाणा पहुंचे। इस दौरान पीएमनरेंद्र मोदी ने हरियाणा में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के पावन अवसर पर गुरु तेग बहादुर को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए शीश नवाया। मुगल आक्रांताओं को लेकर पीएम मोदी ने कहा हम सब जानते हैं कि मुगलों ने वीर साहिबजादों के साथ भी वरुरता की सारी हदें पार कर दी थीं। वीर साहिबजादे दीवार में जीवित चिनवाए जाने को तैयार हो गए, लेकिन अपने कर्तव्य और धर्म को नहीं छोड़ा।

4300 किमी दूर दिल्ली पहुंचा इथोपिया की राख का ‘गुबार’

● 12 हजार साल बाद फटा ज्वालामुखी, 15 किमी ऊंचा उठा

अदीस अबाबा (एजेंसी)। इथियोपिया का हेली गुब्बी ज्वालामुखी 12 हजार साल बाद अचानक रविवार को फट गया। इस विस्फोट से उठने वाली राख और स्ल्फर डाईऑक्साइड करीब 15 किमी ऊंचाई तक पहुंच गई। यह लाल सागर पार करते हुए यमन और ओमान तक फैल गई। सोमवार रात करीब 11 बजे यह राख इथियोपिया से 4300 किमी दूर भारत के राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली-एनसीआर और पंजाब तक फैल गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि राख के बादल मॉलवार शाम 7.30 बजे तक भारत से साफ हो गए और चीन की ओर बढ़ गए हैं। इस गुबार की वजह से एफए इंडिया ने अपनी 11 उड़ानें रद्द कर दी थीं। एक्सपर्ट्स ने बताया था कि इस गुबार की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि आम लोगों की जिंदगी पर इसका असर काफी कम हुआ।



हिन्दी की रचनात्मकता पर केन्द्रित विस्तृत रिपोर्ट ‘विश्व में हिन्दी’ तथा विश्व रंग परिवार की पत्रिकाओं ‘इलेक्ट्रॉनिक आपके लिए’, ‘रंग संवाद’, ‘वनमाली कथा’ और ‘विश्व रंग संवाद’ के विशेषकों के साथ ही आईसेक्ट प्रकाशन की अन्य पुस्तकों की वृहद श्रृंखला होगी।

जनजातीय प्रकोष्ठ ‘आदिरंग’ – विश्व रंग का एक और विशेष प्रकोष्ठ है ‘आदिरंग’। रवीन्द्र भवन में टंटया भील सभागार आदिरंग की गतिविधियों का केन्द्र होगा। यहाँ जनजातीय साहित्य, संस्कृति, कला और पारंपरिक शिल्प कला कोशल पर एकाग्र वैचारिक सत्रों के साथ ही विश्व रंग फाउण्डेशन द्वारा निर्मित दो हेरिटेज फ़िल्मों ‘गणगौर गाथा’ तथा ‘संजा’ के प्रदर्शन भी होंगे। इस प्रकोष्ठ में जनजातीय विरासत पर केन्द्रित शिल्पों और चित्रों की दीर्घा भी आकर्षण का केन्द्र होगी। ‘कठपुतली’ कला की जनसंचार उपयोगिता पर प्रस्तुति-सह-प्रदर्शन भी होगा। साथ ही पारंपरिक व्यंजनों की सौगात भी होगी।

समापन समारोह में पुरस्कृत होंगे विश्व हिन्दी ओलंपियाड के विजेता – विश्व रंग का औपचारिक समापन 29 नवंबर की शाम 6 बजे रवीन्द्र भवन के हंस ध्वनि सभागार में होगा। इस अवसर पर मॉरिशस गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति श्री पृथ्वीराज सिंह रूपन के मुख्य आतिथ्य, पूर्व केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियात निशंक की अध्यक्षता, म.प्र. के उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल तथा आरएनटीयू के कुलाधिपति संतोष चौबे की विशेष उपस्थिति में विश्व हिन्दी ओलंपियाड के विजेताओं की घोषणा कर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। म.प्र. के अपर मुख्य सचिव शिव शेखर शुक्ला, विश्व रंग के सह निदेशक डॉ. सिद्धार्थ चतुर्वेदी और निदेशक बालरंग डॉ. पल्लवी राव चतुर्वेदी का भी प्रेरक सानिध्य रहेगा।

डीप फ्रीजर फिर खराब, 2 साल में तीसरी बार प्रदेश का पहला बोन बैंक बंद हुआ

50 लाख की मशीन कबाड़ बनी, इसका नुकसान मरीजों को उठाना पड़ा

इंदौर। एमजीएम मेडिकल कॉलेज प्रबंधन जहां आधुनिक सुविधाओं और उन्नत उपचार के बड़े-बड़े दावे करता है, वहीं हकीकत इन दावों से बिल्कुल उलट है। प्रदेश का पहला बोन बैंक, जिसे वर्ष 2023 में शुरू किया गया था, दो साल में तीसरी बार बंद हो गया। इसका कारण वही पुराना एक डीप फ्रीजर है, जिसका सही रखरखाव न होने से बोन बैंक बंद करना पड़ा। हड्डी रोग विभाग की जिम्मेदारी होने के बावजूद फ्रीजर बार-बार खराब होता रहा, जिससे बड़ी संख्या में मरीजों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। पहले भी फ्रीज खराब होने पर 32 हड्डियां डिस्पोज करनी पड़ी थीं। स्थिति बिगड़ने पर फ्रीज को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में शिफ्ट किया गया, लेकिन कुछ समय बाद वहां भी यह बंद हो गया। प्रबंधन अब तक बोन बैंक के लिए स्थायी जगह भी तय नहीं कर सका। अब इसे एमवाय अस्पताल की पहली मॉजिल पर बन रहे नए ओटी कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट करने की योजना पर विचार हो रहा है।



बोन बैंक का लाभ इन्हें

बोन बैंक में दान की गई या सर्जरी में निकाली गई हड्डियों को -80 डिग्री सेल्सियस तापमान में सुरक्षित रखा जाता है। इनका उपयोग फ्रैक्चर रिप्लेसमेंट, बोन कैंसर, जन्मजात विकृतियों और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट जैसी गंभीर सर्जरी में किया जाता है। समय पर उपलब्धता कई मरीजों के जीवन और अंग बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

देखरेख में भारी लापरवाही

यह पहली बार नहीं है, जब एमजीएम मेडिकल कॉलेज और इससे जुड़े अस्पतालों में उपकरणों का रखरखाव उपेक्षित रहा हो। एमवाय अस्पताल में करीब 50 लाख रुपए की ईआरसीपी मशीन तीन साल से धूल खा रही है। जिम्मेदार डॉक्टर इस मशीन का उपयोग शुरू करने की बजाय निजी अस्पताल में जाकर जांच कर रहे हैं, जबकि गरीब मरीज सरकारी सुविधाओं में कम दर पर इलाज की उम्मीद रखते हैं। यह अस्पतालों में सरकारी धन के दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण है।

हड्डी रोग विभाग का पक्ष

डॉ कुंदन कुशवाहा, एचओडी, हड्डी रोग विभाग का कहना है कि ल बोन बैंक का फ्रीज खराब हो गया है। नए फ्रीज के लिए पत्र भेज दिया है। दो फ्रीज होने पर हड्डियां सुरक्षित रखी जा सकेंगी। ओटी कॉम्प्लेक्स पूर्ण होने पर बोन बैंक को वहां शिफ्ट करने की योजना है।

दो पहिया वाहन चालकों के अब तक 17000 चालान, पर ट्रैफिक बेहाल

इंदौर। दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य है, लेकिन यहां जनता हेलमेट लगाने को तैयार नहीं। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। 17000 हजार से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं। सख्ती के बावजूद 20व जनता ही हेलमेट लगाकर नियमों का पालन करती दिखाई दे रही है। इसके बावजूद शहर में ट्रैफिक में कोई सुधार नहीं हुआ। चौराहों पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। हर दिन हजारों चालकों के कैमरे से ई-चालान बन रहे हैं। अब खुद पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह हेलमेट के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए शहर की चौराहों पर पहुंचने लगे। सोमवार को व्हाइट चर्च चौराहा पर हेलमेट जागरूकता अभियान में पहुंचे और जनता को दस्तावेज चेक कर हेलमेट वितरित किए। एडिशनल कमिश्नर आरके सिंह और डीसीपी ट्रैफिक प्रभारी आनंद कलादगी साथ थे। सिंह ने उन वाहन चालकों हेलमेट दिए जिनके रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और दस्तावेज पूरे थे। कुछ वाहन चालकों का नियमों का उल्लंघन करने पर पहले चालान किया गया। सुरक्षा का महत्व समझाते हुए हेलमेट भी दिया।

शहर का ट्रैफिक सुधरा नहीं, सिर्फ हेलमेट चालान की कार्रवाई



बुजुर्ग दंपति को हेलमेट

पुलिस कमिश्नर ने हेलमेट लगाने वाले दोपहिया वाहन चालकों की प्रशंसा करते हुए सम्मान स्वरूप उपहार दिए। एक बुजुर्ग दंपति को हेलमेट पहनाया। वाहन चालकों ने भी संकल्प लिया कि हम यातायात नियमों का पालन करेंगे और अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, निरीक्षकों सहित यातायात का स्टाफ, ट्रैफिक प्रहरी, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की टीम भी उपस्थित रही।

नियम पालन में नाकाम साबित— ट्रैफिक पुलिस बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसमें पुलिस केवल औपचारिकता निभाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री करने में लगी है। चालान के नाम पर पूरी तरह

भेदभाव किया जा रहा है। कम चालान बनाने के पीछे पुलिस उपायुक्त आनंद कलादगी बल की कमी होना बताते हैं। जबकि, बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं के आदेश के दौरान सख्ती से इन्हें जवानों ने कार्रवाई की थी। सुबह से लेकर देर रात तक चुनिंदा चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस बिना हेलमेट वालों के चालान काटने खड़ी रहती है। शहर की सड़कों पर रोजाना लाखों वाहन गुजरते हैं। इनमें से 95 प्रतिशत वाहन चालक हेलमेट का उपयोग नहीं करते। ऐसे वाहन चालक चालानी कार्रवाई में लगे जवानों के सामने से बेखोफ निकलते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने रविवार को अपने कर्तव्य की कैसे पालन किया कि दिनभर में वह केवल 250 से 300 वाहन चालकों पर ही कार्रवाई कर पाई। इसके उलट, ट्रैफिक पुलिस हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर जागरूकता का ढोंग पीट रही है।

निगम आयुक्त के राजस्व वसूली पर निर्देश

इंदौर। नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव ने सोमवार को विभागीय बैठक आयोजित कर शहर में चल रहे विकास कार्यों और राजस्व वसूली की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में सभी एआरओ और जोनल अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया। निगम आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में हो रहे विकास कार्यों को तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण रूप से पूरा किया जाए, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। साथ ही राजस्व वसूली को पारदर्शिता के साथ तेजी से करने के आदेश भी दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों क्षेत्रों से निगमों के मुताबिक ही वसूली सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को निगमायुक्त ने फटकार भी लगाई। वहीं, जिन कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं बताईं, उन्हें उचित समाधान का आश्वासन दिया गया।

जानवरों के लिए 500 बोरी बेड्स वितरित

इंदौर। तेजी से बढ़ती ठंड के बीच सड़क पर रह रहे बेसहारा जानवरों को राहत देने के लिए सराहनीय अभियान शुरू किया है। दो संस्थाओं ने 500 बोरी बेड्स जरूरतमंद कुत्तों व अन्य जानवरों को ठंड से बचाने के लिए वितरित किए जा रहे हैं। अभियान के पहले चरण में 100 बोरी बेड्स शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाए जा चुके हैं। आगामी दिनों में बाकी बेड्स का वितरण जारी रहेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेजुबान जानवरों को राहत मिल सके। संस्थाओं ने इस कार्य में सहयोग देने के लिए नीरज और सनी का विशेष धन्यवाद किया है। साथ ही पशुप्रेमियों से अपील की है कि वे इस अभियान में शामिल होकर प्रयासों को और मजबूत बनाएं, ताकि इस कठोर सर्दी में कोई भी बेसहारा जानवर ठंड से बेहाल न हो।

घर के बाहर खड़ी गाड़ियां फोड़ीं

इंदौर। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रविवार देरात अवैध वसूली को लेकर बदमाशों ने डीजे संचालक के घर के बाहर खड़ी गाड़ी और परिवार के घर पर हमला बोल दिया। फरियादी ऋषि नगर में रहने वाले कृष्णा साहू ने बताया कि रात एक बजे कुछ युवकों टॉमी और पथरों से उनकी डीजे गाड़ी के कांच तोड़ दिए। इसके बाद पास ही स्थित कोंसिया परिवार के घर पर पथराव किया, जिससे बरामदे में रखे गमले टूट गए और शीशे चटक गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जिसमें दो से ज्यादा हमलावर नजर आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक, घटना से एक दिन पहले कृष्णा को डीजे चलाने को लेकर धमकियां दी गई थीं। फिलहाल अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

युवक ने फांसी लगाई, घर में शादी की तैयारी

इंदौर। परिवार में युवक की शादी की तैयारी चल रही थी। इसी बीच वह नौद से उठा और फांसी लगा ली। युवक की कुछ माह पहले ही मोहल्ले में रहने वाली लड़की से सगाई हुई थी। आजाद नगर पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम चंदू (19) पिता राकेश निवासी भील कॉलोनी है। चंदू के चाचा कैलाश ने बताया कि घर के सदस्य बाहर के कमरे में बैठकर लकड़ी जलाकर ताप कर रहे थे। तब चंदू भी उनके पास बैठा था। करीब रात 10.30 बजे वह अचानक उठकर चला गया। रात में आवाज लगाने पर उसने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। तब पीछे के रास्ते बनी खिड़की से देखा तो चंदू फंदे पर लटक था। बाद में दरवाजा खोलकर उसे नीचे उतारा गया। चंदू मिस्त्री का काम करता था। परिवार ने बताया कि कमरे से सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस के अनुसार, मामला प्रेम प्रसंग का हो सकता है। इसकी जांच की जा रही है। बता दें कि चंदू के पिता लॉडिंग वाहन चलाते हैं। उसका एक भाई भी है, जो गैस एजेंसी के ऑटो पर डिलेवरी करता है। वहीं एक बहन भी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

डिंक एंड ड्राइव की कार्रवाई के दौरान हंगामा

इंदौर। शहर के सर्विस रोड पर नोटिस तामील करने निकले प्रधान आरक्षक भोलाराम एवं प्रधान आरक्षक धनराज गिरी को दो संदिग्ध युवक दिखाई दिए। पुलिस को देखते ही दोनों युवक अपनी बाइक तेजी से भगाने लगे। बाइक असंतुलित रूप से लहराती देख पुलिस ने उन्हें रोक लिया। जांच में दोनों युवक शराब के नशे में पाए गए, जिस पर पुलिस ने डिंक एंड ड्राइव की कार्रवाई की बात कही। इसी दौरान एक युवक पुलिसकर्मियों को धक्का देकर भागने लगा, लेकिन कुछ दूरी पर उसे पकड़ लिया गया। पकड़े गए युवक को पुलिस ने मौके पर ही सबक सिखाया। वहीं, दूसरे युवक ने अपनी मां और बहन को फोन कर मौके पर बुला लिया। कुछ ही देर में मां और युवक की बहन मौके पर पहुंचकर पुलिस कार्रवाई का विरोध करने लगीं और मोबाइल से वीडियो बनाते हुए आरोप लगाने लगीं कि पुलिस मारपीट कर रही है। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने एफआरवी को बुलाया। टीम पहुंचने पर भी परिनत युवक को वाहन में बैठने नहीं दे रहे थे। इस बीच सड़क से गुजर रहे चार पहिया वाहन सवार ने भी घटना का वीडियो बना लिया। घटना के बाद संबंधित युवक के खिलाफ धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान बनाया गया। थाने पहुंचने पर युवकों और उनके परिजनों ने अपनी गलती मानते हुए माफी भी मांगी।

बाणगंगा में वाइन शॉप के विरोध में महिलाओं, बच्चों का भारी प्रदर्शन

इंदौर। बाणगंगा क्षेत्र में संचालित वाइन शॉप को बंद कराने की मांग को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में रहवासी महिलाओं और बच्चों ने सड़क विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वाइन शॉप खुलने के बाद से पूरे क्षेत्र का माहौल असुरक्षित और असहज हो गया है। महिलाओं ने बताया कि दुकान के आसपास दिनभर शराबियों का जमावड़ा रहता है, जिससे गंदी नजरें, और अश्लील इशारों की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं। रहवासियों ने कहा कि शाम 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। शराबी सड़क और सर्विस लेन पर बैठे खुलेआम शराब पीते हैं। कई बार खुले में शौच और पेशाब की घटनाएँ भी सामने आती हैं, जिससे महिलाएँ और बच्चे लगातार डर के माहौल में जीने को मजबूर हैं। पहले से दुर्घटना-पराभावित यह क्षेत्र ब्रिज बसों और भारी ट्रैफिक के कारण कई हदसों और विवाद का गवाह बन चुका है। इंडस्ट्रियल एरिया के कर्मचारी भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं। उद्योग संचालकों ने बताया कि वे अपने कर्मचारियों को इस रास्ते से भेजने में हिचकते हैं, क्योंकि मार्ग पूरी तरह असुरक्षित हो चुका है। महिलाओं का कहना है कि सब्जी या दूध जैसी जरूरी चीजें लेने जाना भी चुनौती बन गया है। मंदिर जाने में

शाम को घर से निकलना मुश्किल, रात भर शराब बिकती है



भी महिलाएँ और बच्चियाँ असहज महसूस करती हैं। रहवासी अब तक एसपी ऑफिस, कलेक्टर, आबकारी विभाग भोपाल और बाणगंगा थाने में शिकायतें दर्ज करा चुके हैं, साथ ही हाईकोर्ट में PIL भी दायर की गई है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई न होने से लोगों में आक्रोश है। उनका कहना है कि मार्च में दुकान हटाने का आश्वासन दिया गया था,

लेकिन वाइन शॉप अब भी 24 घंटे चल रही है और रात में शटर के खांचे से शराब की बिक्री जारी रहती है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जल्द कार्रवाई न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। उनकी एकमात्र मांग वाइन शॉप को तत्काल बंद किया जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके।

पर्यटकों की कमी होने से पातालपानी कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन का चलना बंद

अगले मानसून में नई सुविधाओं के साथ ट्रेन फिर शुरू होगी

इंदौर। मध्य प्रदेश की अनोखी और लोकप्रिय पातालपानी-कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन को रेलवे ने अस्थायी रूप से बंद कर दिया। यह ट्रेन प्रदेश की एकमात्र हेरिटेज रूट पर संचालित होती थी, जो पातालपानी की हरियाली और घाटी के मनमोहक दृश्यों के कारण पर्यटकों की पहली पसंद रही है। रेलवे ने 21 नवंबर से इसका संचालन रोक दिया।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, ठंड के मौसम में इस रूट पर पर्यटकों की संख्या लगातार कम होती जा रही थी। कम यात्री संख्या के कारण फिलहाल ट्रेन को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है। हेरिटेज ट्रेन मानसून के दौरान काफी लोकप्रिय रहती है, जब घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य



अपनी चरम पर होता है। रेलवे प्रवक्ता के अनुसार, यात्रियों की कम संख्या को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि हेरिटेज ट्रेन को जल्द ही नई और बेहतर सुविधाओं के साथ दोबारा शुरू किया जाएगा। संभावना है कि अगले मानसून में यह इंदौर से और बेहतर कनेक्टिविटी के

साथ पुनः संचालित होगी, जिससे पर्यटकों को अधिक सुविधा और आकर्षण उपलब्ध होगा। रेलवे का यह कदम हेरिटेज पर्यटन को और बढ़ावा देने की दिशा में माना जा रहा है। पर्यटकों को अब अगले मानसून में और उन्नत सेवाओं के साथ इस खूबसूरत सफर का इंतजार रहेगा।

राहजनी कर व्यक्ति से लूटपाट करने वालों को पुलिस ने एक घंटे में पकड़ा

इंदौर। फरियादी माखन सिंह पिता दूजैसिंह अहीरवार निवासी इंडो जर्मन टूल फैक्ट्री सांवर रोड, जो दीपमाला हाट बाजार से सामान लेकर अपने निवास एमसीयू हेल्थ केयर कंपनी जा रहे थे। इंडो-जर्मन टूल कंपनी के पास बाइक सवार तीन बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। बदमाशों ने उनका मुंह कपड़े से दबोचा, चाकू दिखाकर धमकाते हुए मोबाइल तथा 700 रुपए छीन लिए। सहायक पुलिस आयुक्त रूबनी मिजवानी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही बाणगंगा पुलिस ने तुरंत विशेष टीम गठित की और आरोपियों की तलाश शुरू की। मात्र एक घंटे की अवधि में पुलिस ने तीनों आरोपियों गजानन पिता जगदीश इवने, राजा पिता भूपेंद्र सिंह चौधरी और राजा पिता महेश इवने को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ की जा रही है।

बाणगंगा पुलिस की कार्रवाई, तीन बदमाश पुलिस गिरफ्त में आए

आरोपियों से 10 मोबाइल मिले

इधर, खजराना पुलिस ने रॉबर्ट चौराहा से लगे आउटर की कालोनियों, भीड़भाड़ वाले स्थानों, रहवासी संस्था, मल्टी में लगातार हो रही चोरी, नकबजनी एवं लूट से बचने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे। इसी तारतम्य में टीम बनाकर आरोपियों को राउंडअप करने के लिए लगाया गया। फरियादी प्रकाश पिता किशोर माली निवासी ग्राम कलजाना तहसील बड़नगर जिला उज्जैन ने 19 नवंबर को बताया कि मैं 22 नवंबर को साहिल रेसीडेंसी के पास सर्वेश रोड रॉबर्ट के पास खजराना पर बैठा था। तभी 2 लड़के बिना नंबर की मोटरसाइकिल से आए और मोबाइल झपटकर

बंगाली चौराहे तरफ भाग गए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर धारा 304 (1) का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इसी बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपीगण कर्बला कुआं खजराना के पास खड़े हैं। पुलिस ने वहां से सलमान उर्फ मच्छरे उर्फ अमान पिता सलीम शेख निवासी सुपारी वाली गली जल्ला कालोनी खजराना तथा साहिल उर्फ चिट्टू पिता शंकर खान निवासी जल्ला कालोनी खजराना को पकड़ा। उनके पास से लूट के 10 मोबाइल जब्त किए हैं। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो बताया कि वे अपने शौक पूरे करने के लिए इस तरह की घटनाएं करते थे।

चेन और मोबाइल झपटा – एरोड्रम पुलिस ने

चेन और मोबाइल झपटने के मामले में तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है।

फरियादी मानसी शर्मा ने 22 नवंबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह बाजार से सामान लेकर घर लौट रही थी। इसी दौरान बाइक (एमपी-08-ड्रेडजी-5013) पर आए तीन अज्ञात बदमाशों ने पीछे से बाल खींचे। वे सभल पाती, इसके पहले ही चेन उनके हाथ लग गई। इस दौरान बदमाश मेरा मोबाइल भी लेकर भाग निकले। महिला की शिकायत पुलिस ने अज्ञात बदमाशों पर धारा 309(4) का केस दर्ज कर लिया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी गोपाल पिता रामप्रसाद धाकड़, कृष्णपाल पिता शिवलाल अछिवात तथा शिवम पिता संतोष चंदेल तीनों निवासी शिवकंठ नगर, थाना बाणगंगा को गिरफ्तार कर उनसे लूटी गई चेन बरामद की है।

संपादकीय

ब्लाइंड बेटियों को कोरी बधाइयां !

खेलों में भारत की बेटियां लगातार कमाल कर रही हैं। इसमें ताजा कड़ी भारतीय महिला नेत्रहीन टीम द्वारा पहला टी-20 विश्व कप जीतना है। भारतीय बेटियों की इस कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित सभी लोगों ने बधाइयां दीं। लेकिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तरह इस ब्लाइंड वीमेन टीम को किसी ने नकद पुरस्कार देने का ऐलान नहीं किया। यहां तक कि बीसीसीआई ने भी अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की। यह सही है कि भारतीय ब्लाइंड वीमेन क्रिकेट एसोसिएशन बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन बीबीसीआई बेटियों के हक में अतिरिक्त उदारता दिखा सकती है। यही नहीं भारत सरकार ने भी अभी तक इन बेटियों की हैसला अफजाई के किसी तरह की सीगात का ऐलान नहीं किया। कुल मिलाकर टीम की इस वैश्विक सफलता पर कोरी बधाइयां ही मिल रही हैं। अलबता इस टीम के स्वदेशी लौटने पर बंगलुरु में जोरदार स्वागत किया गया। गौरतलब है कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित पहले ब्लाइंड वीमेन टी 20 वर्ल्डकप को भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने फाइनल में नेपाल को हराकर पहला वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया। इस रोमांचक फाइनल में भारत ने नेपाल को सात विकेट से हराया। ख़ास बात यह रही कि पूरे टूर्नामेंट में भारत ने एक भी मैच नहीं गंवाया और सभी मैचों को जीतकर टूर्नामेंट में अपना दबदबा भी साबित किया। भारत ने टीएस जीतकर नेपाल को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया था। नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 114 रन बनाए थे। भारत ने यह लक्ष्य 12.1 ओवर में ही 47 गेंद रहते हासिल कर लिया। भारत की ओर से खुला शरिर ने 27 गेंद पर चार चौकों की मदद से नाबाद 44 रन बनाए। 20 दिन पहले मुंबई में भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीकी टीम को नवी मुंबई में हराकर महिला क्रिकेट के नए अध्याय की शुरुआत की थी। अब तीन हफ्तों के अंदर ही भारतीय महिला ब्लाइंड टीम भी वर्ल्ड कप का खिताब उठाकर ब्लाइंड क्रिकेट की नई तकदीर लिखने की कोशिश की है। बीते एक माह में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने यह तीसरा विश्व कप जीता है। ब्लाइंड वीमेन कप के पहले महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल ढाका में भारत और चीनी ताइपे के बीच खेला गया था। खिताबी मुकाबले में भारत की बेटियों ने कमाल कर दिया और चीनी ताइपे को हरा कर वर्ल्डकप अपने नाम किया। इसमें दुनिया भर की 11 टीमों ने भाग लिया था। इस बीच कोलंबो में हुए टी 20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय कप्तान दीपिका ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमें भारत को खिताब जिताकर बेहद खुशी है। पूरी टीम ने एकसाथ मिलकर शांनदार प्रदर्शन किया है। इन खिलाड़ियों ने अपनी जिंदगी में काफी मेहनत की है। यह हमारे लिए गर्व का पल है। हम जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहेंगे। उल्लेखनीय है कि दृष्टि बाधित क्रिकेट सामान्य क्रिकेट से अलग होता है। इसमें ग्राहक खिलाड़ी एक दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम बनाते हैं और यह एक सफ़ेद प्लास्टिक की गेंद से खेला जाता है, जिसमें बॉल बेयरिंग लगे होते हैं जो लुढ़कते समय खड़खड़ाते हैं, जिससे खिलाड़ी उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। ब्लाइंड क्रिकेट में बल्ले से गेंद को अधिकतम हिट करने के लिए 'स्वीप शॉट' का व्यापक उपयोग किया जाता है। इस क्रिकेट में ख़ास सुरक्षात्मक उपकरण इस्तेमाल किया जाते हैं। भारत में भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ दृष्टिबाधित क्रिकेट का आयोजन और संचालन करने वाली सर्वोच्च संस्था है। अगर कामयाबी को नापें तो दृष्टिबाधित क्रिकेट कप जीतना सामान्य महिला टीम की सफलता से भी कहीं ज्यादा कठिन और चुनौतीपूर्ण है। ऐसा क्रिकेट जिसमें स्पर्श और संवेदना ही सबकुछ है।

संविधान दिवस विशेष

डॉ. संजीव कुमार

सामाजिक एवं राजनीतिक विशेषज्ञ



बिहार चुनाव, चुनाव आयोग पर विपक्ष के आरोपों से आरम्भ हुआ था और उसके परिणाम पश्चात् आरोप - प्रत्यारोप से ही समाप्त हो चुका हैं. चुनाव आयोग पर विपक्ष ने जो आरोप लगाए वह चुनाव से 6 महीने पहले ही चालू हो चुका था. जिसमें वोट चोरी,वोट कटौती, और पक्षपात जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं. हम इस मुद्दों को अगर विपक्ष का घृया मानकर छोड़ भी दे दो तो पूरे देश ने देखा और इस बात का गवाह है किस प्रकार तत्कालीन बिहार सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा होने की तिथि के बाद भी महिलाओं के खাতে में दस- दस हजार रुपए भेजे जाते रहे. आचार संहिता के मुताबिक चुनाव तिथि घोषणा होने के पश्चात तत्कालीन सरकार किसी भी तरह की आर्थिक घोषणा और सहयोग जनता को नहीं दे सकती. 6 अक्टूबर को बिहार चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की और उसी दिन बिहार सरकार ने महिलाओं के खाते में पहली किस्त दस हजार रुपये डाले थे. इसके बाद उन्होंने दूसरी किस्त 31 अक्टूबर और प्रथम चरण चुनाव के पश्चात 7 नवम्बर को भी महिलाओं के खाते में परस्पर धन राशि भेजी जाती रही. जिसने बिहार चुनाव पर व्यापक प्रभाव डाला और परिणाम सत्ता के हक़ में जाता रहा. इसी बीच तटीय केंद्र शासित राज्यों में भी स्थानीय चुनाव थे. जिनमे दादर ,नगर हवेली और दमन और दीव में जिला पंचायत तथा नगर निकाय का चुनाव था. जहाँ 122 सीटों में से 91 सीटों पर विपक्ष का पचां ही रद्द कर दिया गया और बीजेपी बिना लड़े ही विजयी हो गई. मजे की बात ये कि भाजपा प्रत्याशी का एक भी नामांकन रद्द नहीं हुआ.

वर्तमान भारत में आज जो लोग सत्ता में हैं वे हैं यह भूल चुके हैं कि उन्हें जो ताकत मिली है वह संविधान की वजह से मिली है,और अंत में उनके अच्छे बुरे निर्णय का न्याय भी यह संविधान ही करेगा. भाजपा सरकार जिस तरह से राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले वहां के नेताओं को अपने तंत्र के माध्यम से डराने और धमकाने का कार्य करती आ रही है (दिल्ली, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, गोवा, कर्नाटक इत्यादि) और सरकारी मशीनरी तथा खजानों का इस्तेमाल करके सत्ता हासिल करने में लगी हुई है यह किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए चिंता का विषय हैं. आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता खुलेआम मुसलमानों के खिलाई देते नजर आते हैं, उनके धार्मिक आस्थाओं पर ठेस पहुंचाते हुए दिखाई देते हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो उन्हें सदन में मुझ

स्वामी, सुबह सखेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए अमेश त्रिवेदी द्वारा अनिबाना पब्लिकेशन, 121, देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर, म.प्र. से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बांबे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक

उमेश त्रिवेदी

कार्यकारी प्रधान संपादक

अनुराग बोकिल

संपादक (मध्यप्रदेश)

विनायद तिवारी

स्थानीय संपादक

हेमंत पाल

प्रबंध संपादक

रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)

RNI No. MP/PHIN/ 1509/ 66040,

Mobile No.: 09893032101

Email- subahsaverenews@gmail.com

‘सुबह सखेरे’ में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं है।

नजरिया

डॉ. ब्रह्मदीप अलूने

‘गांधी है तो भारत है’ के लेखक



राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन वर्ष पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की मौजूदगी में अपना दर्द साझा करते हुए कहा था की कई गरीब और आदिवासी नागरिक,अदालत से जमानत मिल जाने के बावजूद केवल इसलिए जेल में रहते हैं क्योंकि वे जमानत राशि भरने में सक्षम नहीं हैं। महामहिम इस तथ्य से वाकिफ होि होंगे की न्याय किसी भी समाज, राष्ट्र और सभ्यता की नींव होता है। यह केवल अदालतों का कार्य नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था का मूल सिद्धांत है। हालांकि महामहिम ने भारत की न्याय व्यवस्था की एक गंभीर और चिरकालिक समस्या को उजागर भी किया था। अपने वक्तव्य के जरिए देश की प्रथम नागरिक ने न्यायपालिका से गरीब आदिवासियों के लिए कुछ करने का आग्रह किया था। महामहिम की साफगोई के अच्छे परिणाम हुए। न्यायालय ने संज्ञान लिया और इस वर्ष अक्टूबर में एक फैसला आया।

सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति जमानत के लिए आर्थिक गारंटी देने में असमर्थ है,तो सरकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए इसे मुहैया करेगी। इस तरह से उसकी रिहाई सुनिश्चित की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि जमानत मिलने के बावजूद केवल पैसों की कमी के कारण किसी व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला देश के उन हजारों गरीब कैदियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो मामूली आरोपों में जेल में बंद हैं। लेकिन आर्थिक तंगी के कारण जमानत नहीं पा सके हैं। इस आदेश के बाद यह उम्मीद बढ़ गई की गरीबी किसी व्यक्ति के लिए न्याय से वंचित होने का कारण भविष्य में न बनेगी।

दरअसल न्यायपालिका देश में नागरिकों के अधिकारों की सबसे बड़ी संरक्षक है। भारत में यह भूमिका और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा संविधान सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है और इन अधिकारों की रक्षा का अंतिम दायित्व न्यायपालिका के पास है। न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा है,जिससे वह किसी भी कानून या सरकारी निर्णय को रद्द कर सकती है यदि वह संविधान-विरोधी या अधिकारों के विरुद्ध हो। यह शक्ति नागरिकों को मनमाना से बचाती है और सरकार को संविधान के भीतर काम करने के लिए बाध्य करती है।

2005 में सलवा जुद्धम छत्तीसगढ़ में उठावा विरोधी एक जनआंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। छत्तीसगढ़ सरकार की सहायता से शुरू किए गए इस आंदोलन का उद्देश्य नक्सलियों के खिलाफ ग्रामीणों को संगठित करना और सुरक्षा बलों को सहायता प्रदान करना था। इस आंदोलन के तहत बड़ी संख्या में ग्रामीण युवाओं को

लोकतंत्र और हमारा संविधान

कहने से भी नहीं हिचकिचाते. उनके बुलडोजर द्वारा मुसलमानों के घर गिराए जाने का मामला जिस तरह से देखने को मिलता है इससे मालूम होता है कि वह खुद को ही सर्वशक्तिमान समझते हैं. उनके लिए संविधान और कानून जैसी कोई भी चीज मायने नहीं रखती जबकि इस विषय पर कई बार सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें फटकार लगा चुकी है.

आज देश के आदिवासी निस्सहाय कलप रहे है. देश में आदिवासियों की जल,जंगल पर सत्ता की हमेशा से नजर रही है. कभी व्यवसाय के लिए तो कभी विकास के नाम हमेशा से इनके क्षेत्रों में अतिक्रमण होते रहे हैं. स्थिति इतनी विकराल हो गई कि इसे नक्सलवाद का रूप लेना पड़ा है. छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता 1959 की धारा 165, 170-ऊ के अनुसार आदिवासी की जमीन केवल आदिवासी को ही बेची जा सकती है,गैर-आदिवासी को नहीं तो फिर इतने बड़े-बड़े पूंजी पतियों के हाथों इतनी बड़ी भूमि क्यों और कैसे बेचीं जा रही है? आज आदिवासियों के लिए लिखने पढ़ने वाले लोगों की संख्या नहीं के बराबर है. सामान्य लोग आदिवासी का मतलब नक्सलवाद समझते हैं. इधर कुछ वर्षों से सरकार और आदिवासियों या यूं कहें कि नक्सलवाद से हर दिन मुठभेड़ देखने को मिल रहा है. बस्तर अब लाल मिट्टी की जगह लाल खून से सना हुआ है.

वर्तमान सरकार ने देश के सभी नागरिकों को कई हिस्सों में बांटकर उन्हें आपस में लड़ा रखा है. बिल्कुल अंग्रेजों की फूट डालो और राज करों की नीति की तरह. देश के मुसलमान देश के सच्चे नागरिक नहीं है, आदिवासी नक्सली है, दलित अयोग्य हैं (आरक्षण के नाम पर गाली) और पिछड़े सत्ता के योग्य नहीं. कानून में तमाम प्रावधान होने के बावजूद भी कानून दलितों, आदिवासियों,पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं की रक्षा करने में आज तक विफल रहे हैं. जबकि दलितों और आदिवासियों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें सरकारी व्यवस्थाओं में आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था के इतने दशक बावजूद भी हमारा तंत्र आज तक उन्हें अपने मुख्य धारा तक खड़ा करना तो बहुत दूर उन्हें साथ भी नहीं ला सका है. इसका ज्वलंत उदाहरण अभी पिछले दिनों मध्य प्रदेश में 2022 में अंग्रेजों की भर्ती हेतु परीक्षा के परिणाम से समझ सकते है . जिसका परिणाम इसी महीने घोषित किया गया है. कुल 191 सीटों में 121 पद आदिवासियों हेतु घोषित हुए थे जिनमें से एक पद पर भी आदिवासी का चयन नहीं किया गया. जाहिर हैं सरकार कुछ वर्षों बाद इस पद को सामान्य वर्ग में परिवर्तित कर देगी जैसा कि वह हमेशा से करती आ रही है (राजनीतिक दबाव में फिलहाल इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है) आदिवासियों दलितों और पिछड़ों के साथ

न्यायपालिका स्वतंत्र है इसलिए संविधान सुरक्षित

सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति जमानत के लिए आर्थिक गारंटी देने में असमर्थ है,तो सरकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए इसे मुहैया करेगी। इस तरह से उसकी रिहाई सुनिश्चित की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि जमानत मिलने के बावजूद केवल पैसों की कमी के कारण किसी व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला देश के उन हजारों गरीब कैदियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो मामूली आरोपों में जेल में बंद हैं। लेकिन आर्थिक तंगी के कारण जमानत नहीं पा सके हैं। इस आदेश के बाद यह उम्मीद बढ़ गई की गरीबी किसी व्यक्ति के लिए न्याय से वंचित होने का कारण भविष्य में न बनेगी।

स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में भर्ती किया गया और उन्हें हथियार चलाने तथा नक्सल-विरोधी ऑपरेशन में शामिल होने का प्रशिक्षण दिया गया। कई गांवों को खाली कराकर लोगों को विशेष कैंपों में बसाया गया की वे नक्सलियों से दूरी बनाए रखें और सुरक्षा बलों को सहयोग कर सकें। 2005 से 2011 के बीच इस अभियान ने नक्सली संगठनों को स्थानीय समर्थन से वंचित कर कमजोर किया। लेकिन इसी अवधि में सलवा जुद्धम पर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे। अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार संगठनों और पीड़ितों ने अभियानों के दौरान निर्दोष ग्रामीणों के उत्पीड़न,घरों को जलाने,महिलाओं पर अत्याचार, जबनर कैंपों में ले जाने और हिंसा फैलाने के आरोप लगाए। इन आरोपों पर आधारित कई याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गईं।

2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सलवा जुद्धम और स्पेशल पुलिस ऑफिसर व्यवस्था को असंवैधानिक और अवैध करार दे दिया था। न्यायालय ने कहा था कि नाबालिगों या अप्रशिक्षित युवाओं को हथियार देकर लड़ाई में भेजना संविधान के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। राज्य का दायित्व कानून-व्यवस्था बनाए रखना है,न कि नागरिकों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित करना। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया राज्य की विफलता का संकेत है और इससे कानून का राज कमजोर होता है। इस प्रकार सलवा जुद्धम पर प्रतिबंध मानवाधिकार,विधि के शासन और संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक कदम माना गया।

देश में यह भी देखा गया है की जब प्रशासन और सरकारें नियमों, प्रक्रियाओं और सुरक्षा के नाम पर मानवीय मूल्यों को भूल जाती हैं,तब न्यायालय मानवाधिकारों की अंतिम रक्षा-रेखा बन जाता है। न्यायपालिका संविधान के तहत यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी नागरिक की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता का हनन न हो। चाहे पुलिस अत्याचार हो, प्रशासनिक ममनानी या कमजोर वर्गों पर अन्याय हो। न्यायालय हस्तक्षेप कर राज्य को उसकी सीमाएं

एसआईआर का भूत एक मास्टर को खा गया

भूल गए, सब गए-बीते दिन हुए, अब तो वह किसी से हाल-चाल भी लेते तो बस एसआईआर पर ही गोल-गोल बातें करने लगते, एसआईआर की अंदरूनी तकलीफों का ही सिर्फ राम अलापते रहते।

सवाल आम तो जवाब गुटली, गांवों के तमाम कलंदरों जमूरों से सिरमारी करते हुए, घुरघुराते हुए, फार्म भरते हुए, एसआईआर की डिटेल फीडिंग कराते-कराते बेचारे मास्टर जी आधे हुए जा रहे थे। बासी बास मारते मुख़ाए फूल हुए जा रहे थे। अधेड़ अवस्था में बिल्कुल वृद्धा अवस्था वाली शिथिलता उनके चेहरे पर झलकने लगी थी। ऐसा लग रहा था, जैसे उनके चेहरे से किसी ने सारी खुशी लुट ली हो। सारा नूर लुट लिया हो। वह रोज रात को देर से सोते और सोते-सोते बड़बड़ाते रहते, एसआईआर, एसआईआर.. टारगेट जल्दी पूरा करना है। अधिकारी की डांट से बचना है। नोटिसों से बचना है, एफआईआर से बचना है, हर हाल में किसी तरह नौकरी बस पकानी है। ..तब खासे गुस्से से पत्नी, उन्हें दो धपकें मार कर कहती, ‘शांत रहो, दिन भर घर में खटना पड़ता है, खुद तो सारी रात ढंग से सोते नहीं, कम से कम ढंग से हमें तो सोने दो महाराज।.. फिर एक दिन वह हुआ, जिसका किसी को अंदेशा न था। एक भंयकर भूत आया। फंदा लाया। निशाना साध कर वह फंदा मास्टर जी के गले में फंका।। फिर गम के सागर में डूबे बेचारे मास्टर जी चुपके से आधी रात में उठे, छत के एक छल्ले में लटक गए। फिर सुबह वह बेसुध पाए गए। एक बीएलओ, एसआईआर के भूत से हार गया था। सच पूछो तो एक सच्चा मीडिया पर चेपते भी रहते थे, मन भर लाइक कमेंट भी पाते थे, पर अब तो सब

पर अधिकारियों की मनमानी को लेकर दो आईएएस अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि आप अधिकारी हैं,राजा नहीं। न्यायालय ने अवमानना के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अधिकारियों को सजा सुनाई और उन पर जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने दोनों अध

संवैधानिक अधिकार मानवाधिकारों का कानूनी आधार हैं और न्यायपालिका उनकी संरक्षक,जो यह सुनिश्चित करती है कि हर नागरिक सुरक्षित,स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जी सके। दिव्यांग जन को लेकर एक मामलें में न्यायालय का एक फैसला फिर मिसाल बन कर आया। मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा की भर्ती और सेवा शर्तें नियम के खिलाफ एक याचिका दृष्टिबाधित अर्थर्था की मां ने दायर की तो अदालत ने न केवल इस पर कड़ा संज्ञान लिया बल्कि जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर माहेदवन की बेंच ने कहा कि किसी दिव्यांग व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित करने का आधार मेंडिकल एक्सपर्ट द्वारा किया गया क्लीनिकल असेसमेंट नहीं हो सकता। पीठ ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम की शर्तों में दृष्टिबाधित

एसआईआर का भूत एक मास्टर को खा गया

कटाक्ष

सुरेश सोरभ

लेखक व्यंग्यकार हैं।



त ह घर में, रोज सुबह सबसे पहले उठ जाते थे। खाने-पीने का तनिक भी न होश उन्हें रहता। हर समय उन्हीं फार्मों में जूझते रहते थे। फिर भी अक्सर आने वाले फोन उन्हें हैरान परेशान किए रहते थे। सुबह से शाम तक और शाम से देर रात तक उन्हीं फार्मों में जूझते-खाते रहते, तब भी जब अधिकारियों की खूब झाड़ उन्हें पड़ने लगी, तब अपने दोनों बेटों को भी उन फार्मों में, जुए में लगे बैलों की तरह जुड़ा दिया। फिर भी उन्हें तिल भर सुकून न था। कभी-कभी बिना खाए-पिए ही बेचारे निकल जाते ,बस एक ही चिंता उन्हें खाए रहती, ऊपर वाले अधिकारी का दिया, यह टारगेट किसी तरह बस पूरा करना है। अब बहुत सुस्त रहने लगे थे, घर में और घर के लोगों में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं रह गयी थी। बिल्कुल बाबा, बैरागी जैसे बन गये, दबा-बाल कटवाने-सुधरवाने तक का उन्हें तनिक ख़्याल न रहता। थे तो सरकारी मास्टर, लेकिन अब बेचारे बिल्कुल चिड़ीमार लग रहे थे,बस उन्हें हर वक्त एसआईआर फार्मों को जल्द से जल्द पूरे करने की धुन लगी रहती। स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाया-लिखाया? आजकल क्या सांस्कृतिक गतिविधियां चल रहीं हैं, खुशी से पहले सबसे खूब चर्चा किया करते थे, सोशल मीडिया पर चेपते भी रहते थे, मन भर लाइक कमेंट भी पाते थे, पर अब तो सब

सर्वोच्च अदालत के फैसलों में अंतर्विरोध की ध्वनि क्यों?

प्रश्न क्रमांक-01 पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल के पास विधेयक रोकने का पूरा ‘एम्बल्ट’ अधिकार नहीं है। साथ ही यह भी कह दिया कि स्वीकृति देने की कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती है। यही वह बिंदु है, जहाँ सलाह स्वयं अपने निर्णय व उसकी भावना का विरोध करता दिखता है- ‘मिठ बोले कम तोले’ की तरह, समय सीमा न होने का व्यवहारिक अर्थ यही है कि राज्यपाल विधेयक को जितनी देर चाहें रोक सकते हैं। इसके विपरीत, 8 अप्रैल का आदेश बिल्कुल स्पष्ट था-राज्यपाल 3 महीने के भीतर ‘निर्णय’ लेने को बाध्य होंगे। यह नई सलाह पूर्व के निर्णय की समय सीमा का बाध्यता को समाप्त कर देती है। क्योंकि जिन संवैधानिक भावनाओं के आधार पर समय सीमा तय की गई थी, वही अब इस राय में हवा हो गए।

‘परिणामतः राज्यपाल व राष्ट्रपति अब बिना किसी समय-सीमा के, अपने विवेकाधिकार पर निर्भर रहते हुए विधेयकों को ठंडे बस्ते में डाल कर कानून बनने से रोक सकते हैं। न्यायालय की यह टिप्पणी कि अनावश्यक देरी होने पर न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, व्यावहारिक समाधान नहीं है। पहले सरकार सिर्फ राज्यपाल-धूर्तपति की बात जोहती थी, अब उसे न्यायालय की चौखट भी देखनी होगी। इस आदेश से राज्यपालों के लिए एक तरह से- रिद के रिद रहे, हाथ से ज़रत न गयी’ वाली स्थिति बन गई है। जनता द्वारा चुनी गई विधानसभा का पारित विधेयक यदि राज्यपाल के अड़ियल रुख तथा राजनीतिक

देखश महीनों-सालों तक रोक जाए, तो यह भारतीय जनतंत्र की सबसे कमजोर कड़ी ही कहलाएगी। इस कमी का इलाज करने के बजाय उच्चतम न्यायालय की यह ‘राय’ उस पर मोहर लगाती प्रतीत ही होती है।

महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या 8 अप्रैल का जस्टिस जे बी पारदी वाला की अध्यक्षता वाली दो संसदीय पीठ का फैसला आज भी बाध्यकारी है? या पाँच-न्यायाधीशों की यह सलाह पूर्ण राय उस निर्णय को अप्रभावित कर देगी विडंबना यह है कि इसी सलाह के निर्णय के दो दिन पूर्व ही इसी उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधिकार सुधार अधिनियम 2021 को रद्द करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी—

उच्चतम न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। संसद उन्हें दरकिनारा नहीं कर सकती है। कार्यपालिका दखलंदगी न करे।

तो क्या अब सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को उक्त ‘राय’ देकर स्वयं के उक्त सिद्धांत को कमजोर नहीं किया? वरिष्ठ अधिका कपिल सिब्बल ने इसे विपक्षी सरकारों की जीत बताया। परंतु उनका कथन निम्नलिखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है—

उदाहरण के लिए: 1. जनशक्ति मामले की पुनर्विचार याचिकाएँ। पहले पर्यावरणीय आधार पर परीयोजनाओं पर रोक, फिर ऐतिहासिक रूप से स्वयं के फैसले को वापस ले लेना।

2. न्यायालय ने चुनाव आयुक्त की निष्पक्षा सुनिश्चित करने हेतु

और दृष्टिहीन अय्याधियों को न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति से बाहर रखने वाले अंश को निरस्त करते हुए कहा कि दृष्टिबाधित और दृष्टिहीन भारत में न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। पीठ ने फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति महादेवन ने कहा,मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम 1994 के नियम 6-ए को निरस्त किया जाता है,क्योंकि यह दृष्टिबाधित और दृष्टिहीन उम्मीदवारों को न्यायिक सेवाओं

न्यायपालिका समय-समय पर ऐसे फैसले देती है जो यह सिद्ध करते हैं कि संविधान के मूल्य स्थिर नहीं बल्कि बदलते सामाजिक संदर्भों में निरंतर विकसित होते हैं। न्यायपालिका न केवल संविधान के शब्दों की रक्षा करती है, बल्कि उसके भाव,आत्मा और मूल्य-तत्वों को भी अभिव्यक्ति देती है। संविधान केवल लिखित प्रावधानों का दस्तावेज़ होने के साथ ही उसमें निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे उच्च आदर्शों का जीवंत दर्शन है। न्यायपालिका इन आदर्शों को व्याख्या,निर्णय और न्यायिक सक्रियता के माध्यम से समाज में लागू करती है। मसलन गरीब लोगों को आरक्षण देने पर न्यायपालिका का बेहद सकारात्मक रूख सामने आया।

2019 में सरकार ने कानून में संशोधन कर कमजोर वर्गों को आर्थिक आधार पर दस फीसदी आरक्षण देने का नियम बनाया था। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और अलोचकों का तर्क था कि यह भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें पहले से आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले जाति समूहों को शामिल नहीं किया गया है और यह शीर्ष अदालत के 1992 के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें आरक्षण की सीमा पचास फीसदी तय की गई थी। इस पर न्यायाधीशों ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण भारत के मूल ढांचे या संविधान का उल्लंघन नहीं करता है और इसे सरकार द्वारा सकारात्मक कार्रवाई के रूप में माना जाना चाहिए।

बेशक,भारत में अच्छे संविधान है लेकिन इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता की संविधान और संविधानिक ढांचे को मजबूत रखने में न्यायपालिका ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहरहाल न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रहनी ही चाहिए। उसकी स्वतंत्रता लोकतंत्र को मजबूती देती है,सत्ता के दुरुपयोग पर रोक लगाती है और न्याय के मूल्यों की रक्षा करती है। इसी कारण लोकतंत्र की विश्वसनीयता और संविधान की सर्वोच्चता कायम रहती है।

संविधान दिवस पर विशेष	
सुनील कुमार गुप्ता	
	
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।	

सं

विधान एक दृष्टिकोण है, एक रोशनी है, जो हमें, देश को आगे बढ़ा सकता है। संविधान के दस्तावेज में हर शब्द नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन उसके भाव और नैतिकता महत्वपूर्ण है, जिसे अपनाकर आगे बढ़ा जा सकता है। - मदन बी. लोकरुर, सेवानिवृत्त जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट

आज 26 नवंबर है, जो ऐतिहासिक दिन जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। यह वह दिन है, जब सन् 1949 को देश का अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था । 26 जनवरी 1950 में इसे लागू किया गया। भारत के संविधान को दुनिया को अनुा संविधान भी माना जा सकता है। दरअसल यह केवल व्यक्ति के अस्तित्व, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और गरिमा का ही ध्यान नहीं रखता है, बल्कि पूरे विश्व, महाद्वीप और प्रकृति के संरक्षण और मानवता की बात भी करता है।

हम जब देश के संविधान बनने के सफरनामे, उसकी प्रक्रिया पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि पाते हैं, कि यह केवल एक कानूनी, अनुच्छेदों से भरा एक दस्तावेज मात्र नहीं हैं, बल्कि इसमें शामिल हर पंक्ति के पीछे सामाजिक, आर्थिक बदलाव, सुधार के ठोस तर्क मौजूद हैं। संविधान बनाने वालों ने भारतीय समाज की बुराईयाँ और विसंगतियों को छिपाने की कोशिश नहीं की। भारत के लोग जिन बुनियादी अधिकारों से वंचित थे, उनका पूरा संरक्षण करने वाली व्यवस्था बनाने की पहल इस संविधान में की गई।

भारतीय संविधान की विकास यात्रा, तथ्य और तर्कों पर लिखी पुस्तकों का अध्ययन करने पर पाते हैं कि भारत का संविधान कोई एक बार की पहल में लिखा गया संविधान नहीं है, इसके पीछे सवा सौ सालों के सामाजिक सुधार के अभियानों, ब्रिटिश सरकार द्वारा डेढ़ सौ सालों में बनाए गए अलग-अलग कानूनों के अनुभव और न्यायिक स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के द्वारा 50 सालों में बनाए गए अलग-अलग प्रारूप खड़े हुए हैं ।

हमारे संविधान को बनाने में उन्नीसवीं सदी की शुरुआत से हुए सामाजिक सुधार आंदोलन मील का पथ्रर साबित हुए। इन पहलों ने भारतीय समाज में यह चेतना जागृत करना शुरू की कि भारत में ऐसी संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए, जो आपसी

संविधान दिवस विशेष
चित्रा माली

सहायक प्रोफेसर गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग महत्वा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विधि क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता।

1930 के शुरुआती दशक से ही कांग्रेस ने इस बात को ज़ोर दिया था कि भारत के लोग भारत के संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे। 1946 में लॉर्ड वेवेल ने इस बात पर सहमति जतायी और प्रांतीय चुनावों के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। इनके अतिरिक्त सभा में रजवाड़ों के सदस्यों भी शामिल थे क्योंकि एक-एक कर रजवाड़ें भारतीय संघ में शामिल होते जा रहे थे। एक राष्ट्रवादी अखबार ने लिखा कि गांधी टोपी और नेहरू जैकेटों से भरी सभा में ‘नौ महिला सदस्य भी मौजूद थीं,जो संविधान सभा को सतरींगी बना रही थीं’। संविधान सभा के सभी सदस्यों में वैचारिक भिन्नता समाहित थी। कुछ सदस्य नास्तिक,कुछ आध्यात्मिक, कुछ धर्मनिरपेक्ष, कुछ समाजवादी,तो कुछ जमींदार वर्ग के समर्थक थे। आम जनजीवन से जुड़ा शायद ही कोई ऐसा विचार होगा जिसकी नुमाइंदगी संविधान सभा में न की गई हो। संविधान सभा की प्रक्रिया को जनापेक्षी बनाने के लिए जनता से सुझाव भी आमंत्रित किए गए थे। सैकड़ों तरह के सुझाव व मांग समिति के पास पहुंचे थे। इनमें से कुछ एक अखिल भारतीय वर्णाश्रम स्वराज संघ (कलकत्ता की संस्था) ने सुझाव दिया कि ‘भारत का संविधान प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथों के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए’। गौहत्या पर प्रतिबंध और बूचड़खानों को बंद करने संबंधी मांग स्वरूप सुझाव। निचली जातियों के समूहों ने ‘उनकी जातियों द्वारा उनके प्रति किए जा रहे भेदभाव को खत्म करने की मांग की और विधायिकाओं,सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों में अपने लिए आरक्षण की मांग की’। भाषायी अल्पसंख्यकों ने मांग की कि ‘उनकी मातृभाषा में उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए और भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए’। धार्मिक अल्पसंख्यकों के समूहों ने उनके लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। विशाखापटनम के जिला शिक्षक संगठन और बंबई के केंद्रीय यहूदी बोर्ड ने भी अपने लिए विधायिका समेत सभी सरकारी संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व की मांग

संविधान दिवस विशेष
प्रमोद दीक्षित मलय

लेखक शैक्षिक संवाद मंच उ.उ. के संस्थापक हैं।

परिवार देश की लघुतम इकाई होती है। परिवार से मिलकर ही एक वृहत् समाज की रचना सम्भव होती है। प्रत्येक घर-परिवार एवं समाज में सदस्यों के कार्य व्यवहार एवं आचरण हेतु एक अलिखित नियमवली या सहिता होती है। परिवार एवं समाज अपने सदस्यों से अपेक्षा रखता है कि समाज की बेहतरी के लिए सभी जन इन नियमों का पालन करते हुए तालमेल एवं संगति से ही कार्य संपादन करेंगे। नियमानुकूल आचरण कर समाज की विकास धारा को गतिशील रखते हुए उसे समृद्धि प्रदान करेंगे। नियमों में आबद्ध लोक अपनी कार्य संस्कृति से सतत ऊर्ध्वगामी यात्रा करता है। नियमानुशासित लोकाचरण से समाज में सद्बुति, सद्नीति, शुचित्ता, सत्यान्वेषण, सहकार, समन्वय, संरक्षभाव एवं सदस्यकारों का बीजवपन, पल्लवन एवं फलन होता है और अराजकता, अनीतिकता, अशौच, अनीति के लिए कोई स्थान शेष नहीं होता। इन नियमों के परिनिष्ठित, परिमार्जित, प्रांजल लिखित स्वरूप को देश के संदर्भ में संविधान संज्ञा से अभिहित किया जाता है जिसमें लोक की शक्ति निहित होती है और जो विधायिका से अनुमोदित होता है। हम कह सकते हैं कि संविधान

वीथिका

संविधान में लिखे शब्द नहीं, उसके भाव और नैतिकता महत्वपूर्ण

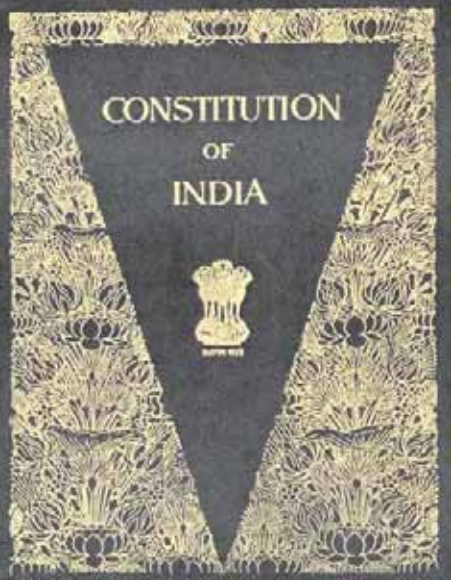
हमें एक अच्छा संविधान मिला है, पर यह हमारे नेताओं पर निर्भर करता है कि वो कैसे संविधान को आगे बढ़ाएं। वो अच्छे संविधान को बुरा बना सकते हैं और एक बुरे संविधान को भी अच्छा बना सकते हैं. : डॉ. भीमराव अंबेडकर

प्रेम को बढ़ावा दे और शोषणकारी व्यवस्था को समाप्त करे और न्याय की अवधारणा को स्थापित करे। इसमें सेरामपुर मिशन प्रेस के माध्यम से सन् 1800 में बंगाल में जन शिक्षण को बढ़ावा देने की पहल, 1828 मे राजा राममोहन राय द्वारा की गई सती प्रथा और बाल विवाह की कुुरीतियों को समाप्त करने के लिए समाज सुधार की पहल, 1848 में सावित्री बाई फुले द्वारा महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने और 1853 में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए बाल हत्या प्रतिबंध गृह खोलने की पहल, 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा समाज में जाति व्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से की गई सत्य शोधक समाज की स्थापना, महिलाओं को शोषण से मुक्त कराने की पहल को हम सब जानते हैं। इसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कोशिशों से हिन्दू पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 बना। वर्ष 1882 में रमाबाई के आर्य महिला समाज संगठन के माध्यम अनाथ संरक्षण और बालिका शिक्षा के कार्यों को नौन भुला सकता है। सर सैय्यद अहमद खान ने 1863 में मुस्लिम समुदाय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए साइंटिफिक सोसायटी की स्थापना की। 1875 में हिन्दु समाज सुधार की पहलों के लिए चिरपरिचित गुजरात के स्वामी दयानंद सरस्वती, 1905 में शिक्षा, स्वास्थ्य, शराबबंदी, गरीबी, छुआछूत और अस्पृश्यता, सामाजिक विसंगति के खिलाफ अपनी संस्था के माध्यम से पहल करने वाले बाल कृष्ण गोखले, केरल के श्री नारायण गुरु, आंध्र प्रदेश के कंदुकूर वीरेश लिंगम,, डॉ. आत्मारंग पांडुरंग, स्वतंत्रता आंदोलन के समानांतर ही देश की भीतरी विसंगतियों को दूर करने करने के लिए जी-जान से जुटे रहे महात्मा गांधी जैसे पुरखों के विचार-कर्मपथ और भाव दर्शन हमारे संविधान में आपको मिल जाएंगे।

राजनैतिक पहलों का इतिहास भी आप तलाशेंगे तो पाएंगे इसकी शुरुआत 1895 से हो गई थी। व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक संगठनों से लेकर उस दौर की रियासतों, राजे-रजवाड़ों तक ने आजादी के बाद देश की व्यवस्था, नियम-कानूनों कैसे होंगे, इसके अपने-अपने प्रारूप बनाए थे और संविधान सभा तक पहुंचे थे।

देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन

उससे पहले से संविधान सभा के 299 सदस्य स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने में लगे हुए थे। यह काम इतना आसान नहीं था, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 2 साल 11 महीने, 18 दिनों तक कई बैठकों और बहसों के लंबे दौर चले। इसके बाद डॉ. भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसे अंतिम रुप दिया। 26



नवंबर 1949 साधारण सभा की आखिरी बैठक में इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्षित किया गया। इसीलिए हम इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह विश्व का सबसे बड़ा और हस्तलिखित संविधान है। जब संविधान बना, तब इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। समय-समय पर हुए संशोधनों के बाद वर्तमान में संविधान में 470 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अमेरिका, रूस, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों की श्रेष्ठ अवधारणाओं और संवैधानिक मूल्यों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में शामिल

भारतीय संविधान की उद्देशिका एक संकल्प है

की। वैचारिक विभिन्नता और मांगों की विविधता के बीच भारत के संविधान को सामंजस्य स्थापित करना था। भारतीय संविधान संभवतः विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान का निर्माण दिसंबर 1946 से लेकर 1949 तक किया गया (जिसमें दो वर्ष ग्यारह महीने और 17 दिन का समय लगा) और 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। संविधान निर्माण के समय संविधान 22 भागों में विभाजित था और उसमें 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान वर्तमान में 25 भागों में विभाजित है और उसमें 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा की बैठक 11 सत्रों में आयोजित की गई और 165 दिन इस पर बहस की गई थी। भारतीय संविधान सभा की संपूर्ण कार्यवाही को ग्यारह अंकों में प्रकाशित किया गया है। इनमें से कई अंक तो 1000 पृष्ठों से भी अधिक के हैं। संविधान सभा में 300 से भी अधिक सदस्य थे जिनमें से 20 सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण थे इनमें से बाहर के पास विधि की डिग्री थी जिनमें कांग्रेस के मुख्य नेता जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भारत के महान और गौरवशाली अतीत और गांधी जी की भावनाओं के साथ-साथ फ्रांस,अमेरिका और रूस की क्रांति के आधुनिक दृष्टांतों का उल्लेख भी किया।

अनेक महत्वपूर्ण भाषण में उन्होंने कहा था कि ‘भारत को स्वतंत्र, संप्रभु, गणराज्य घोषित किया गया है जिसमें प्रत्येक नागरिक को सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक न्याय में अवसर की समानता,विधि की समानता, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार,आस्था,पूजा, रोजगार, संगठन और सक्रियता की स्वतंत्रता (कानून और जन-नैतिकता के दायरे में) प्रदान की गई हैं’। इसके अलावा अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी इलाकों, वंचितों और अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की उचित देखभाल करने की बात भी कही। कांग्रेस के दूसरे नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विभिन्न समितियों की कार्यवाहियों में गहन रूप से हिस्सा लिया और उन्होंने कई

रिपोर्टस भी तैयार करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वास्तव में यह पटेल ही थे जिन्होंने परस्पर विरोधी विचार वाले सदस्यों के बीच मध्यस्थता का काम किया और कई मुद्दों पर आम सहमति कायम की। हठी और जिद्दी किस्म के सदस्यों से पटेल सुबह टहलते समय बात करते थे और उन्हें मुद्दे पर व्यापक दृष्टिकोण से अवगत कराते थे। अल्पसंख्यकों का अधिकार संबंधी प्रस्ताव संविधान सभा में सरदार पटेल के द्वारा ही पेश किया गया था। संविधान सभा के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण सदस्य थे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ.राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा के उद्घाटन के दिन ही इन्हें नामांकित किया



गया था और वे अपने कार्यालय की समाप्ति तक इस पद पर गरिमापूर्ण तरीके से विराजमान रहे। आपका कार्य बड़ा जटिल था आपको बहस और विवाद करते समूहों के बीच शांति स्थापित करना था इसी के साथ उन्हें समय-सीमा का ध्यान रखने वाले अधिकारी को भी निर्देशित करना होता था और सभी वक्ताओं को धैर्य से सुनना भी पड़ता था। क्योंकि आमतौर पर भारतीय लोग श्रोता की तुलना में वक्ता ही बेहतर होते हैं खासतौर पर भारतीय राजनेताओं के साथ ऐसा ही होता है। कांग्रेस की इस त्रिमूर्ति से अलग संविधान सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य और संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के

किया गया है। यह उल्लेखनीय तथ्य है कि जो लोग भारत का संविधान बना रहे थे, वे आपस में भी एकमत नहीं थे। उनके विचारों में भारी टकराव था, इसके बावजूद वे हिंसक नहीं थे। उनका विचारों की विविधता और परस्पर प्रेम के भाव में भरपूर विश्वास था। असहमतियां थीं, लेकिन कोई भी सह-अस्तित्व की अनिवार्यता से समझौता नहीं कर रहा था।

जब संविधान की रचना की जा रही थी, तब संविधान सभा में शामिल लोगों ने कई बार कहा था कि हमें एक बेहतर भविष्य के लिए संविधान बनाना है। हमें उन मूल्यों को तय करना है, जिनसे भारत के स्वभाव और चरित्र का निर्माण हो। लेकिन वह यह भी कह गए कि संविधान कितना भी अच्छा बना लीजिए, यदि इसे लागू करने वाले लोगों का समूह और उनका विचार दूषित हुआ, तो अच्छे संविधान के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। संविधान बनने के बाद संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भी कहा कि, हमें एक अच्छा संविधान मिला है, पर यह हमारे नेताओं पर निर्भर करता है कि वो कैसे संविधान को आगे बढ़ाएं। वो अच्छे संविधान को बुरा बना सकते हैं और एक बुरे संविधान को भी अच्छा बना सकते हैं।

अभी हाल ही संविधान संवाद की एक व्याख्यानमाला में अपने संबोधन में सुप्रीमकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस मदन बी. लोकरुर ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे संविधान में तीन चार बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक तो है प्रस्तावना- जिसमें मार्गदर्शक है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, ये मूल्य आधारित दृष्टिकोण हैं, जिससे हम अपने संविधान को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा-संविधान हमें कुछ बुनियादी अधिकार देता है, जैसे-जीवन जीने, अभिव्यक्ति, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता आदि। तीसरा- संविधान में हमारे कर्तव्यों का भी उल्लेख है। लेकिन वह नहीं हो सकता है कि आप प्रस्तावना को एक तरफ रखें और अधिकारों को दूसरी तरफ और अपने स्वार्थ के हिसाब से संविधान को आगे बढ़ाएं। दरअसल संविधान एक दृष्टिकोण है, एक रोशनी है, जो हमें, देश को आगे बढ़ा सकता है। यह देश के हम यानी नागरिकों और नेताओं पर निर्भर है कि वह इसका कैसे उपयोग करें और कैसे आगे बढ़ाएं। संविधान के दस्तावेज में हर शब्द नहीं लिखा जा सकता है। लेकिन संवैधानिक भाव और नैतिकता महत्वपूर्ण

है, जिसे अपनाकर आगे बढ़ा जा सकता है। यह बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज व्यवस्था की ओर से कई काम और फेरसले ऐसे किए जा रहे हैं, जिसमें नागरिक को न्याय नहीं मिल रहा, समानता, स्वतंत्रता और गरिमा का संरक्षण नहीं हो रहा है।

भारतीय संविधान विविधता और अनेकता में एकता का अनुकरणीय उदाहरण है, जो विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, जातियों, भाषाओं, पहनाओं और परंपराओं के लोगों को एक साथ परस्पर, प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के साथ रहने का संदेश देता है। संविधान की प्रस्तावना की पहली पंक्ति ही है ‘हम, भारत के लोग’, यह वाक्यांश ही स्पष्ट कर देता है कि भारत का संविधान अपने अधिकार और वैधता लोगों से प्राप्त करता है, कहीं बाहरी व्यक्ति या शक्ति द्वारा थोपा नहीं जाता, बल्कि लोगों द्वारा स्वयं तैयार किया और अपनाया जाता है. संविधान की प्रस्तावना में कि उसे हर बच्चे पर दिया गए कि भारतीय संविधान का मूल आधार न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, गरिमा जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक मूल्य हैं। दरअसल मानवीय मूल्य ही संवैधानिक मूल्य है, जिसमें प्रेम, दया और करुणा को विशेष स्थान दिया गया है।

भारतीय संविधान यह तय करता है कि देश में कोई भी व्यवस्था, चाहे वह विधायिका, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका अथवा भारतीय दण्ड संहिता का अनुपालन, सभी को संविधान के दायरे में नियम-कानूनों के अनुसार ही चलेगी। संविधान से परे कुछ भी नहीं। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी परिभाषित किया गया है। वंचित वर्ग, सामाजिक, आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है और इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि उसे हर बच्चे को अधिकार मिले, जो समाज के सक्षम वर्ग को प्राप्त हैं, बशर्ते सत्ता में बैठे लोग, व्यवस्था संविधान की इस भावना को समझे और शब्द नहीं, नैतिकता के आधार पर सही- गमत के फैसले करें।

संविधान दिवस हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति अपने देश के संविधान को लेकर शिक्षित हों, जागरूक हों, उसे जाने और मानें। आइए संविधान दिवस पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि संविधान के मूल्यों को जीवन में अपनाएंगे और भारत को एक सशक्त, समृद्ध और न्यायप्रिय राष्ट्र बनाएंगे।

अध्यक्ष बी.आर.अंबेडकर भी थे। इनके अतिरिक्त के.एम. मुंशी,अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर,बी.एन.राव की भी संविधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारतीय संविधान की उद्देशिका संबंधी मूल प्रस्ताव में नेहरू ने भाव विह्वल होकर भारत के मेहनतकश किसानों और मजदूरों के सपनों का हिंदुस्तान बनाने का आह्वान किया था। नेहरू के ऐतिहासिक उद्देश्य-संकल्प को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अंगीकार किया। नेहरू के शब्दों में भारतीय संविधान की उद्देशिका ‘संकल्प से कुछ अधिक है,यह एक घोषणा है,एक दृढ़ निश्चय है,एक प्रतिज्ञा है,एक वचन है और हम सभी के लिए यह एक समर्पण है’। भारतीय संविधान की वर्तमान प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, समाजवादी,सेकुलर, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया है। 1976 में बयालीसवें संविधान संशोधन के बाद समाजवाद और सेकुलर शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना इस प्रकार थी ‘हम भारत के लोग,भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार,अभिव्यक्ति, विश्वास,धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली

बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत,अधिनियमित और आत्मार्षित करते हैं।’ हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्षित करते हैं। तीन जनवरी 1977 में प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के स्थान पर ‘समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य’ शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक एक शब्द का अपना विशिष्ट अर्थ और महत्वपूर्ण स्थान है जो भारत को एक लोकतंत्रात्मक राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। भारतीय संविधान की रचना अंतिम व्यक्ति को ध्यान

में रख कर की गई है। जो हर एक नागरिक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र विकास के लिए वचनबद्ध है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन इसी उद्देश्य के साथ किया गया है जिससे किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है उसके चाहे पर भी नहीं। यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का समावेश भी इसमें किया गया है ताकि कल्याणकारी राज्य का सपना साकार किया जा सके। इसी के साथ नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन भी भारतीय संविधान में किया गया है। 25 जनवरी 1949 को डॉ. बी.आर.अंबेडकर ने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत के लोग भी लोकतंत्र की कुछ प्रणालियों से जरूर वाकिफ़ थे। एक ऐसा भी वक्त था जब हिंदुस्तानिक शासकों से अटा पड़ा था। उन्होंने विशेष रूप से बौद्ध धर्म का जिक्र किया और कहा कि बौद्धों ने अपने भिषु संघों में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा दिया था,जिसमें संसदीय कार्यवाहियों की तरह ही नियमों का पालन किया जाता था। वहां भी मतदान, प्रस्ताव, कटौती और चेतावनी जैसे संसदीय नियमों का इस्तेमाल होता था। डॉ. अंबेडकर ने सदन को आश्स्त किया कि संघ का मततन्त्र ये नहीं है कि राज्यों को कोई सार्थक शक्ति हासिल ही नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ये बात गलतफहमी के तहत फैली है कि केंद्र के पास ‘अत्यधिक शक्तियां हैं और राज्यों की हालत नगरपालिका जैसी हो गई है’। संविधान ने विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों का बंटवारा कर दिया है। केंद्र और राष्ट्र इस मामले में एक समान हैं। डॉ. अंबेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी के अन्य सदस्यों,अपने सहयोगी कर्मचारियों और कांग्रेस पार्टी को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ‘कांग्रेस पार्टी के अनुशासन की वजह से ही ड्राफ्टिंग कमेटी,संविधान सभा में संविधान बनाने का काम यह जानते हुए भी कर पाई कि हरेक धारा और हरेक संशोधन का क्या भविष्य होने वाला है’। संविधान सभा की कई महत्वपूर्ण बहसों और किस्से हैं जिन्हें पढ़ा जाना आवश्यक है। तभी व्यापक रूप से हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसके मूल विचार को आत्मसात कर पाएंगे। महज एक दिन प्रस्तावना के पाठ से यह संभव नहीं है।

संविधान ही है लोक एवं देश का मार्गदर्शक

व्यष्टि से समष्टि की एक सुखाकांक्षी यात्रा है जिसमें लोक कल्याणकारी एवं समतामूलक समाज चरना के सूत्र आधार रूप में विद्यमान होते हैं। संविधान लोकमंगल, लोक सुख-समृद्धि एवं लोक चेतना का उद्घोष करता है। भारत में हम 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाकर न केवल संविधान बनाने वाले डॉ.भीमराव अम्बेडकर एवं अन्य विधि वेत्ताओं के योगदान एवं प्रयासों को स्मरण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं बल्कि देश में एकता एवं अखंडता के लिए परस्पर बंधुत्व भाव के प्रसार के लिए भी संकल्पित हो कटिबद्ध होते हैं।

संविधान दिवस को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 448 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां है जो 25 भागों में विभाजित है। समिति ने भारतीय संविधान को पूर्ण करने में 2 वर्ष, 11 महीने, 18 दिन समय लिया और 166 दिन बैठक कर 114 दिन बहस किया था। संविधान सभा की पहली बैठक दिसम्बर 1946 में हुई थी। भारत का संविधान लचीला है और कठोर भी। लचीला इस संदर्भ में कि संसद कुछ कानूनों में सामान्य बहुमत से संशोधन कर सकती है लेकिन कुछ प्रावधानों में संशोधन हेतु राज्य सरकारों की सहमति एवं दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है। संविधान में

पहला संशोधन 1951 में हुआ था और अब तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। संविधान की प्रस्तावना न केवल संविधान का परिचयात्मक खंड है बल्कि दार्शनिक आधार भी। प्रस्तावना का आरंभ वाक्यांश ‘हम भारत के लोग’ से होता है अर्थात संविधान लोक के शक्ति का प्रतिबिंब है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त है। संविधान सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी देता है। व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की अखंडता हेतु वह बंधुत्व भाव को महत्वपूर्ण मानते हुए तदनुकूल आचरण की अपेक्षा करता है। नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा गया है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्पत् 2006 विक्रमांश को अंगीकृत किया गया था। इस दिन को स्मरण रखने और डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान के प्रचार प्रसार हेतु भारत सरकार द्वारा 2015 में डॉ. अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर मुंबई में उनकी स्टैच्यू आफ इकलिट्री मेमोरियल की आधारशिला रखने के दौरान घोषणा की गई थी। और तब से प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संपूर्ण देश में सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर

संविधान दिवस मना कर देश भीमराव अंबेडकर को स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हालांकि अंबेडकर के प्रयासों को सामान्य जनमानस तक पहुंचाना एवं देश में भाईचारे की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिवस हम पहले भी मनाते रहे हैं। संविधान बनाने हेतु संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1934 में मान लिया था। 29 अगस्त, 1947 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने की समिति की स्थापना की गई थी और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर चुने गए थे। संविधान सभा में विभिन्न रियासतों से 389 सदस्य थे लेकिन देश विभाजन के बाद 299 सदस्य ही बचे। उल्लेखनीय है कि हैदराबाद रियासत का कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा का सदस्य नहीं था। डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान निर्माण हेतु पहली बैठक संसद भवन में 9 दिसंबर, 1946 को हुई थी जिसमें 207 सदस्य शामिल हुए थे। भारत का संविधान हस्तलिखित है जिसे प्रेम बिहारी ने अंग्रेजी एवं हिंदी में विशेष शैली एवं तकनीक से लिखा है। मूल प्रति में 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं जिसके प्रत्येक पृष्ठ में देश के प्रसिद्ध चित्रकारों के बनाए हुए आकर्षक मोनोहारी पारम्परिक चित्र दृष्ट्य हैं।

हमारा संविधान लोक के लिए स्वतंत्रता, न्याय,

समानता, बंधुत्व एवं सह-अस्तित्व का लक्ष्य लेकर चल रहा है जिसे प्राप्त करने का उपाय लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य रचना है। राजनीतिक न्याय के लिए एक व्यक्ति के एक वोट निश्चित है। उसका एक वोट सरकार के निर्माण में सहायक है और देश के विकास में भी। एक वोट का क्या महत्व है इसको हम प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई की सरकार का 1 वोट से गिर जाने से समझ सकते हैं। लोक की समृद्धि में ही राष्ट्र की समृद्धि है और समृद्धि के लिए आवश्यक है परस्पर प्रेम, सद्भाव, माधुर्य; जहां गैर बराबरी के लिए कोई जगह न हो, जहां एक धरातल पर अवस्थित हो सभी अपनी पात्रता, क्षमता एवं रुचि-सुविधानुसार कार्य कर सकें। जहां मानव मानव में कोई भेदभाव की दीवार न हो। इसीलिए अस्पृश्यता एवं उपाधियों का उन्मूलन किया गया है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को पूर्ण स्वतंत्रता देता है। लेकिन एक नागरिक की स्वतंत्रता एवं अधिकार दूसरे नागरिक की स्वतंत्रता एवं अधिकार के उल्लंघन का निषेध करता है। हमारी स्वतंत्रता अन्य की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बन सकती। हम कल्याणकारी समाप्तमूलक समाज रखते हुए देश को संपूर्ण विश्व में प्रेम, सद्भाव, अहिंसा, शांति, समृद्धि का ध्वजावहक सिद्ध कर सकने में यथा सामर्थ्य कटिबद्ध होकर कर्मरत होंगे, यही हम सबका शुभ संकल्प होगा।

संक्षिप्त समाचार

खाती समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने मदनलाल

अमलाहा । खाती चंद्रवंशी क्षत्रिय समाज ने मदनलाल इटावादिया धामदा को अम क्षेत्रीय खाती चंद्रवंशी समाज का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोनीत किया । इस मौके पर समाज समिति सीहोर और युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह पटेल ने उनका सम्मान किया । समारोह में समाज के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे । सभी ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं । समाजजनों ने भरोसा जताया कि वे समाज के उत्थान और संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे ।

एसएटीआई के सामने हुई चोरी में सुराग मिला बिदिशा । शहर में दो दिन में दो बड़ी चोरियां हुईं । 19 नवंबर को एसएटीआई कॉलेज के सामने मुख्य मार्ग पर श्रीवास्तव परिवार के घर में बड़ी चोरी हुई । अगले दिन रंगई मंदिर में चोरी की वारदात हुई । दोनों मामलों में पुलिस जांच कर रही है । एसएटीआई के सामने हुई चोरी में पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं । इन सुरागों से जांच को सही दिशा मिली है । इससे जल्द खुलासे की संभावना बढ़ गई है । रविवार को गंज बासीदा में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने से पुलिस व्यस्त रही । अब सोमवार से जांच फिर तेज की जाएगी ।

स्वास्थ्य एवं पोषण पर सीआरपी दीदियों का प्रशिक्षण सम्पन्न



हरदा (निप्र) । मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण विषय पर जागरूक करने के लिए, समूह की सीआरपी दीदी को तीन दिवसीय प्रशिक्षण सीटीसी बागरूल में प्रदान किया गया । प्रशिक्षण में गर्भावस्था की देखभाल, नवजात शिशु की देखभाल, शौचालय का उपयोग, आगवानी की सेवाएं तथा पीडीएस की सेवाएं के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया । प्रशिक्षण के बाद प्रत्येक सीआरपी अपने कार्य क्षेत्र के 5 ग्रामों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जागरूकता प्रदान करेंगी, पोषण दिवस कार्यक्रम में हितग्राहियों को सहयोग प्रदान करेंगी । कार्यक्रम में जिला परियोजना प्रबंधक एवं जिला प्रबंधक श्री राधेश्याम जाट उपस्थित थे ।

सीवरेज लाइन में खराब पाइप सामग्री के उपयोग का आरोप

भैरुदा । नगर परिषद क्षेत्र में इन दिनों सीवरेज लाइन (वाटरलाइन/ड्रेनेज लाइन) बिछाने का काम तेजी से चल रहा है । लेकिन स्थानीय लोगों ने इस पूरे कार्य पर गंभीर सवाल उठाए हैं । सुरेश चंद सेठी सहित कई नगरवासियों का कहना है कि काम में उपयोग की जा रही पाइप और अन्य सामग्री कंपनी की मानक सामग्री नहीं लगाई जा रही है । इससे यह आशंका गहरी हो गई है कि अधिकारी और कर्मचारी मिलकर चपत लगा रहे हैं । जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है । लोगों का कहना है कि नगर परिषद द्वारा स्वीकृत परियोजना में कंपनी की ओर से निर्धारित गुणवत्ता की पाइप और सामग्री का स्पष्ट उल्लेख है । लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है । मौके पर जो पाइप और फिटिंग्स लगाई जा रही हैं, वे कम गुणवत्ता वाली प्रतीत होती हैं । कई जगह तो पाइप का मोटापन और मजबूती भी तय मानकों से कम नजर आ रही है । यह आने वाले समय में लीकेज, पाइप फटने और पानी की खराब आपूर्ति जैसी बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती हैं ।

अमानक खाद्य सामग्री विक्रय करने पर 25 हजार रु जुर्माना

रायसेन (निप्र) । न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री मनोज उपाध्याय द्वारा निखिल बेकरी के प्रोपराईटर बरेली तहसील के ग्राम भौंडिया निवासी श्री निखिल धाकड़ पर अमानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय करने पर 25 हजार रु का जुर्माना लगाया गया है । साथ ही 15 दिवस में जुर्माना राशि निर्धारित शासकीय मद में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं । उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती कल्पना आरसिया द्वारा 19 फरवरी 2024 को निखिल बेकरी पावर हाउस रोड तहसील बरेली का निरीक्षण किया गया । उक्त पत्र पर मावा से बनी मिठाई केक पनीर लूज आदि का संग्रहण एवं विक्रय किया जा रहा था । खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म से मावा लूज एवं पनीर लूज का नमूना लेकर जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया । जांच में नमूना अमानक स्तर का पाए जाने पर 25 हजार रु का जुर्माना लगाते हुए 15 दिवस में राशि शासकीय मद में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं ।

प्रधानमंत्री आयुष्मान निरामयम योजना के अंतर्गत श्रीमती निर्मला यदुवंशी की हुई निःशुल्क सर्जरी

बैतूल (निप्र) । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज कुमार हुस्माडे ने बताया कि आमला विकासखंड के ग्राम बांगा निवासी 45 वर्षीय श्रीमती निर्मला पति श्री निरंकर यदुवंशी पिछले एक साल से भारी पीवी रक्तस्राव से पीड़ित थीं । श्रीमती निर्मला यदुवंशी माह अक्टूबर में छिंदवाड़ा के निजी चिकित्सालय में उपचार के लिए पहुंचीं, जहां उनकी सोनोग्राफी जांच में एंडोनोमोयोसिस, गर्भाशय में फाइब्रॉइड (2.17इ5 सेमी) और दाहिनी ओवरी में सिस्ट (3.79इ3.13 सेमी) की गंभीर समस्या से पीड़ित होना बताया गया एवं उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी, जिसका खर्च लगभग खर्च 60-70 हजार रुपये बताया गया था। श्रीमती यदुवंशी का परिवार मजदूरी करते हैं, ऑपरेशन का खर्च उठाना उनके संभव नहीं था, उनका परिवार चिंतित रहने लगा। श्रीमती निर्मला यदुवंशी 9 नवम्बर 2025 को जिला चिकित्सालय बैतूल में उपचार के लिए पहुंचीं, जिला चिकित्सालय में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ भावना कवड़कर ने जांच एवं सोनोग्राफी रिपोर्ट का परीक्षण कर श्रीमती निर्मला को निःशुल्क ऑपरेशन कराने की सलाह दी। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ भावना कवड़कर एवं एनेस्थेसिस्ट डॉ चित्रकला पाटिल की टीम ने 13 नवम्बर 2025 को पूर्णतः निःशुल्क टोटल एंडोमिomet्रिल रेसरेक्टॉमी (गर्भाशय निकालने की सर्जरी) सफलतापूर्वक की। प्रधानमंत्री आयुष्मान निरामयम योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन पश्चात 20 नवम्बर 2025 को श्रीमती निर्मला यदुवंशी को अस्पताल से छुट्टी दी गई। अब वह पूरी तरह स्वस्थ हैं और खुशी-खुशी अपने घर जा चुकी हैं। शासन द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं एवं स्वास्थ्य विभाग की सजगता से श्रीमती निर्मला यदुवंशी को नई जिंदगी मिली।

देवारण्य योजना के अंतर्गत औषधीय पौधों के संवर्धन एवं ग्रामीण आजीविका उन्नयन हेतु विभाग सक्रिय

विदिशा (निप्र)। विदिशा जिले में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, औषधीय पौधों के उत्पादन में वृद्धि तथा ग्रामीण समुदायों की आजीविका को सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित देवारण्य योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए उक्त आशय के दिशा निर्देश कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने सोमवार को योजना के कार्यों की समीक्षा बैठक में दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में औषधीय पौधों की वैज्ञानिक खेती, प्रसंस्करण एवं विपणन को प्रोत्साहित कर स्थानीय समुदायों को दीर्घकालिक आर्थिक लाभ प्रदान करना है।

वन विभाग, कृषि विभाग और आयुष विभाग के संयुक्त सहयोग से जिले में विभिन्न ग्राम पंचायतों में औषधीय पौधोंकअश्वगंधा, तुलसी, गुडमार, शतावरी, कालमेघ, सेंट आदिकृका रोपण कार्य विस्तारित किया जा रहा है। किसानों एवं ग्रामीणों को तकनीकी जानकारी, निःशुल्क प्रशिक्षण तथा गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। योजना के तहत समाज-आधारित वन प्रबंधन की अवधारणा को बढ़ावा देते हुए स्वयं सहायता समूहों, वन सुरक्षा समितियों एवं स्थानीय संस्थाओं को औषधीय पौधों के रोपण, संरक्षण एवं संग्रहण प्रक्रिया में शामिल किया जा



रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर बने हैं तथा उत्पादों की वैल्यू एडिशन इकाइयों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ही आय के स्रोत सुदृढ़ हुए हैं। सरकार द्वारा औषधीय पौधों की खरीद एवं विपणन के लिए संस्थागत व्यवस्था विकसित की गई है, जिससे उत्पादों का उचित समर्थन मूल्य सुनिश्चित हो सके। इसके लिए विभागीय स्तर पर नियमित समीक्षा एवं निगरानी की जा रही है। देवारण्य योजना के पर्यावरणीय लाभों को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर पौधारोपण के

माध्यम से मिट्टी की उर्वरता व जैव विविधता में वृद्धि होगी। यह योजना न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को भी नई दिशा देगी। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे योजना की प्रगति की सतत समीक्षा करें, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करें तथा अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को देवारण्य योजना से लाभान्वित करें। बैठक में योजना के क्रियान्वयन हेतु नियुक्त

नोडल अधिकारी व जिला आयुष अधिकारी डॉ दिनेश कुमार अहिरवार ने बताया कि जिले के 11 ग्रामों में औषधीय फसल अश्वगंधा का उत्पादन लिया जा रहा है। उन्होंने शेष अन्य फसलों की जानकारी साझा की है। वन मंडलाधिकारी श्री हेमन्त यादव ने कहा की वन क्षेत्रों में भी औषधि फसल को सुगमता से लिया जा सकता है जिससे वन क्षेत्र की रक्षा भी हो सकेगी। कलेक्टर चेंबर में संपन्न हुई इस बैठक में कृषि उद्यान और उद्योग विभाग के अधिकारी तथा प्रगतिशील कृषक मौजूद रहे।

अधिकारियों की तत्परता और संवेदनशीलता से जिला अस्पताल में बड़ा हादसा टला

मरीजों व परिजनों ने अस्पताल स्टाफ की प्रशंसा की



बैतूल (निप्र)। रविवार को जिला अस्पताल के किचन एरिया के स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की घटना सामने आई। स्थिति गंभीर होने से पहले ही अस्पताल प्रशासन की सूझबूझ, तत्परता और संवेदनशीलता से आग पर काबू पा लिया गया। जानकारी मिलते पर प्रभारी सिविल सर्जन डॉ रूपेश पदमाकर, आरएमओ डॉ. रानू वर्मा तत्काल मौके पर पहुंचे। अस्पताल के इलेक्ट्रीशियन श्री बिहारिया और सहायक इलेक्ट्रीशियन श्री महेश तिवारी ने बिना समय गंवाए स्विच को बंद किया और अग्निशमन यंत्रों की मदद से आग बुझाई। एहतियातन फीमेल वार्ड, बच्चा वार्ड के मरीजों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया। स्टाफ की त्वरित कार्रवाई से बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। सुबह प्रातः 9: 20 बजे आग लगने की घटना सामने आई

जिस पर महज 10 मिनट में काबू पा लिया गया। इसके साथ ही मरीजों को संबंधित वार्डों में पुनः शिफ्ट करने की कार्यवाही भी चालू की गई। घटना की जानकारी मिलते ही प्रभारी कलेक्टर श्री अश्वत जैन, अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट , मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉ मनोज हुस्माडे और ई एंड एम, एमपीईबी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अधिकारियों और अस्पताल कर्मचारियों की त्वरित प्रतिक्रिया से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, जिसके लिए मरीजों तथा उनके परिजनों ने अस्पताल प्रशासन की सराहना की।

नियमित योग करें, रोग भगाएं और स्वस्थ जीवन अपनाएं : राठौर

सीहोर। बस स्टैंड स्थित नेहरू पार्क में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर सात दिवसीय योग शिविर की रविवार से शुरुआत हुई। यह शिविर योगाचार्य सुरेश बाबू राठौड़ के मार्गदर्शन में चल रहा। इस शिविर का नेता प्रतिपक्ष विवेक राठौर ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग दिवस केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक संकल्प है स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन की ओर बढ़ने का।



कह सकते हैं। इसलिए योग करें, रोग भगाएं और स्वस्थ जीवन अपनाएं। योग स्वस्थ रहने में मददगार योगाचार्य सुरेश बाबू राठौड़ ने योग के बारे में बताते हुए कहा कि योग का नियमित अभ्यास हमें कई तरह से फायदा पहुंचाता है। यह हमारे शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है, जिससे हम दिन-भर के कामों को आसानी से कर पाते हैं। साथ ही, यह

हमारी एकग्रता को बढ़ाता है और मन को शांत रखता है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां बीमारियां आम हो गई हैं, योग हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। रोजाना योग करने से ब्लड प्रेशर, शुगर, हृदय रोग और मोटापे जैसी कई जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है।

कुपोषण मुक्त विदिशा अभियान के तहत पोषण किट वितरित

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के नेतृत्व में तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता लोढ़ा के मार्गदर्शन में कुपोषण मुक्त विदिशा अभियान के अंतर्गत संचालित पोषण संजीवनी अभियान के तहत आज जिला चिकित्सालय स्थित एनआरसीमें भर्ती गए बच्चों को पोषण किट वितरित किए गए हैं। अभियान के दौरान अभिभावकों को पोषण किट में उपलब्ध सामग्री से विभिन्न प्रकार की पौष्टिक रेसिपी तैयार करने की विधियाँ समझाई गईं। यह पोषण किट प्रत्येक बच्चे को तीन माह के लिए दी जाने वाली आवश्यक पोषक सामग्री से तैयार की गई है। कलेक्टर श्री गुप्ता की अपील पर विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी तथा समाजसेवियों की जनभागीदारी से एकत्रित धनराशि के माध्यम से यह किट तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य कुपोषित बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराना और उन्हें स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर करना है।

विदिशा में मतदाता सूची पुनरीक्षण:विधायक ने मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान में नागरिकों से सहयोग की



विदिशा। विदिशा में निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (रिट्चक) कार्यक्रम को लेकर मतदाता सूची सुधार का अभियान तेज हो गया है। इसी क्रम में विधायक मुकेश टंडन ने भी वार्डों में जाकर लोगों से फॉर्म सही तरीके से भरने और समय पर जमा करने का आग्रह किया। अभियान के दौरान नागरिकों को बताया जा रहा है कि फॉर्म भरने में किसी भी तरह की दिक्कत होने पर वे सीधे अपने बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क कर सकते हैं। बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म भरवाने

और उन्हें इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग की इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाना है। इसमें उन नामों को सही किया जा रहा है, जो दो जगह दर्ज हो गए थे या जिनकी जानकारी अधूरी थी। विदिशा जिले में अब तक लगभग 11 लाख 20 हजार गणना पत्रक बांटे जा चुके हैं। इनमें से करीब 50 प्रतिशत फॉर्म भरकर वापस मिल चुके हैं। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर निर्धारित है, जिसके चलते बीएलओ ओ तेजी से भरे हुए फॉर्म एकत्र करने में जुटे हैं।

युद्धकाल में बौद्ध धर्म की उपयोगिता- 4 सत्रों में 50 शोध-पत्र पढ़े गये चित्त की शुद्धि के लिए धम्म उपदेश उपयोगी

रायसेन (निप्र)। साँची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में आयोजित इंडियन सोसायटी फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज के रजत जयंती समारोह के दूसरे दिन बौद्ध धर्म, पालि भाषा, युद्धकाल में बौद्ध धर्म की व्यावहार्यता और अस्पाइड बुद्धिस्म पर चर्चा हुई। सामान्य सत्र में मुख्य वक्ता प्रो. अरविंद जामखेड़कर रहे। उन्होंने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बौद्ध स्थापत्य कला पर विचार रखे।



रखे। भरहुत तथा साँची स्तूप के मानव मूल्यों को भी आंका गया। बौद्ध स्थापत्य कला में डर और साहस के दर्शन को जांचा गया। इसी तरह भारत और थाइलैंड के शोधार्थी ने मध्य प्रदेश की पुरातात्विक महत्व को साइट तुमेन पर अपने विचार

गया। प्रो. बंदना मुखर्जी की अध्यक्षता में दूसरे सत्र में धम्म पद पर, धम्म उपदेश में चित्त की शुद्धि के वर्णन, बंगाल में बौद्ध दर्शन का पुनरुत्थान, श्रीलंका में बुद्ध धम्म की विचार कथा, थेरगाथा में स्त्री का

चित्रण, जातक कथाओं का हिंदी साहित्य पर प्रभाव जैसे विषयों पर चर्चा की गई। इस सत्र में भी 10 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। अंधश्रद्धा को छोड़ वेदना निवारण के लिए, चित्त शुद्धि पर जोर दिया गया। तीसरे समानांतर सत्र में अध्यक्षता की प्रो. केदार नाथ शर्मा ने। इस सत्र में बौद्ध दर्शन के व्यवहारिक सभी आर्मांत्रित सांची स्तूप भी पहुंचे। पहलू पर विशेष चर्चा की गई। सत्र में अध्ययन किया गया कि किसी भी व्यक्ति के आम जीवन में किस प्रकार बौद्ध दर्शन उपयोगी होता है। वर्तमान दौर में कैसे बौद्ध दर्शन हल बन सकता है। बौद्ध दर्शन की कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा की गई। विश्व और चीन के संदर्भ में बौद्ध दर्शन के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया।

वर्तमान काल में बौद्ध नीति शिक्षा, बौद्ध दर्शन में शांति की स्थापना, करुणा एवं कर्म इत्यादि विषयों पर 10 शोधपत्र पढ़े गए। आमंत्रित समस्त शिक्षक, विद्वान व, शोधार्थियों ने बोधि वृक्ष के दर्शन किए। इसके उपरांत उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण भी किया। जिसके बाद सभी आमंत्रित सांची स्तूप भी पहुंचे। आई.एस.बी.एस के रजत जयंती समारोह में तीसरे और अंतिम दिवस दो विशेष सत्र आयोजित किए गए हैं जिसमें प्रो. अरविंद जामखेड़कर, प्रो. सिद्धार्थ सिंह और सांची विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. वैद्यनाथ लाभ चर्चा करेंगे। दोपहर में समापन सत्र में श्रीलंका महाबोधि सोसायटी के वेनेगल उपतिस्स नायक थेरो शामिल होंगे।

